



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 2 फरवरी, 2026

माघ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 151/नौ-9-2026-12ज-24

लखनऊ, 2 फरवरी, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0-9

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 305 और 306, धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 550 के साथ पठित धारा 314 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, वह उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, अधिसूचना संख्या-1464/नौ-9-2024-ई-1824886, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा, उक्त अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक को या उसके पूर्व, उससे प्रभावित होने वाले समस्त सम्भावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की गयी थी;

और, चूंकि, उक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1634/नौ-9-2025-12ज/24, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 305 और 306, धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 550 के साथ पठित धारा 314 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा आकाश चिन्हों और विज्ञापनों के विनियमन से सम्बंधित समस्त विद्यमान नियमों, विनियमों, उपविधियों या उपबंधों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन)
नियमावली, 2026**

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(4) एक बार प्रभावी होने के पश्चात् समस्त अनुमोदन इस नियमावली के उपबंधों के अनुपालन में लिये जायेंगे। यद्यपि सम्बंधित प्राधिकरणों द्वारा पूर्व अनुमोदित विज्ञापन संविदाएं, इस नियमावली के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उनकी संविदा अवधि के अवसान तक लागू रहेंगी।

परिभाषाएँ

2—(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) से है;

(ख) “विज्ञापन कर्ता/लाईसेंसधारी” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, नियत करने, प्रतिधारित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुज्ञा प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या कर्मचारी सम्मिलित हैं;

(ग) “विज्ञापन चिन्ह” का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना से है, जिसमें ऐसे चिन्ह, अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो;

(घ) “विज्ञापन” का तात्पर्य विज्ञापन चिन्ह के माध्यम से विज्ञापन करने से है;

(ङ) “एंकर्ड या फ्लोटिंग चिन्ह” का तात्पर्य हवा से भरे/गैस चालित/इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित किसी ऐसे उपकरण से है जो भूमि पर किसी आलम्ब से बँधा हो और कपड़े आदि के किसी पताका से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो;

(च) “झण्डी” का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं;

(छ) “झण्डी चिन्ह” का तात्पर्य किसी चिन्ह से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो;

(ज) “समिति” का तात्पर्य नियम 4 के अनुसार गठित तकनीकी समिति से है;

(झ) “निगम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी नगर निगम से है;

(ञ) “डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह” का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन चिन्ह से है जो विषयवस्तु प्रस्तुति के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग करता हो;

(ट) “विद्युतीय चिन्ह” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जा, जो चिन्हों के महत्वपूर्ण अंग हो, प्रयुक्त किये जाते हैं;

(ठ) “शुल्क” का तात्पर्य आकाश चिन्ह और विज्ञापनों के विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रभारों से है;

(ड) “भू-चिन्ह” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो;

(ढ) “प्रदीप्त चिन्ह” का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो;

(ण) “मार्की (शामियाना) चिन्ह” का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो किसी मार्की (शामियाना) वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो;

(त) “प्रीमियम” का तात्पर्य किसी मूलभूत मूल्य से ऊपर या अधिक संदत्त धनराशि से है;

(थ) “प्रक्षेपित चिन्ह” का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो;

(द) “मार्ग अधिकार” का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(ध) “छत चिन्ह” का तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो, जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित चिन्ह सम्मिलित है;

(न) “आर डब्ल्यू ए” का तात्पर्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन से है;

(प) “अनुसूची” का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची/अनुसूचियों से है;

(फ) “अस्थायी चिन्ह” का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु आलंकारिक संप्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के संप्रदर्शन के लिए आशयित किसी विज्ञापन चिन्ह, झण्डा या वस्त्र, कैनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(ब) “बरामदा चिन्ह” का तात्पर्य किसी बरामदा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन चिन्ह से है;

(भ) “दीवार चिन्ह” का तात्पर्य किसी प्रक्षेपित चिन्ह से भिन्न किसी ऐसे विज्ञापन चिन्ह से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो;

(2) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित हों।

3-(1) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से पूर्व प्रतिषेध में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित, प्रदर्शित, सम्प्रदर्शित, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जाएगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 17 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य सड़कों के छोर के 1.0 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

तकनीकी
समिति का
गठन

4—(1) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट या आकाश चिन्ह के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने, उन्हें जोन में विभाजित करने और उनके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए प्रत्येक निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता के अधीन एक तकनीकी समिति होगी।

(2) तकनीकी समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(1) नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(2) यातायात पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) के रैंक से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी	सदस्य
(3) भारतीय रेलवे का प्रतिनिधि;	सदस्य
(4) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण;	सदस्य
(5) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग;	सदस्य
(6) सचिव, विकास प्राधिकरण;	सदस्य
(7) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का कोई अधिकारी, यदि कोई हो, जो सहायक नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का हो; विकास प्राधिकरण के नगर नियोजन प्रकोष्ठ/विभाग का कोई अधिकारी, यदि कोई हो, जो नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का हो (विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य
(8) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से अनिम्न रैंक का परिवहन विभाग का कोई अधिकारी;	सदस्य
(9) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि;	सदस्य
(10) निगम का मुख्य अभियन्ता (सिविल);	सदस्य
(11) निगम का यातायात अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता से अनिम्न रैंक का अधिकारी (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	सदस्य
(12) निगम का वरिष्ठतम वित्त अधिकारी;	सदस्य
(13) सम्बंधित जोन का जोनल अधिकारी;	सदस्य
(14) विज्ञापन क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	विशेष आमंत्रित सदस्य
(15) विज्ञापनकर्ताओं के रजिस्ट्रीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट);	विशेष आमंत्रित सदस्य

(क) नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य/सदस्यों को सहयोजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(ख) महापौर द्वारा नाम निर्दिष्ट रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पार्श्वों में से तीन सदस्यीय सलाहकार मंच गठित किया जायेगा जो अपना सुझाव तकनीकी समिति को देगा।

(3) तकनीकी समिति के कृत्य—

(क) तकनीकी समिति नियम 23 के उपबंधों के अनुसार नगर निगम क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्र-आधारित जोन में विभाजित करेगी। तकनीकी समिति द्वारा नगर निगम की विद्यमान जोनल संरचना को ध्यान में रखा जाएगा। विज्ञापन जोन की कुल संख्या नगर निगम में जोन की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्रत्येक जोन के अधीन आने वाली विभिन्न सड़कों को उनकी विज्ञापन राजस्व क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

(ग) विज्ञापन संप्रदर्शन हेतु समिति, प्रत्येक जोन के अधीन आने वाले समस्त उपयुक्त अवस्थानों की पहचान करेगी, उनके आकार और प्रकार विनिश्चित करेगी तथा प्रत्येक अवस्थान को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी।

(घ) समिति इन नियमों के प्रभावी होने के 90 दिनों के भीतर प्रत्येक विज्ञापन की विशिष्ट पहचान संख्या, जियो-टैग डेटा, आकार और प्रकार के साथ समस्त चयनित अवस्थानों की एक महा सूची/अनुक्रमणिका तैयार करेगी। यह सूची नगर निगम की वेबसाइट पर भी संप्रदर्शित की जाएगी।

(ङ) समिति इस सूची की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(च) नगर आयुक्त, महासूची में सम्मिलित कुल विज्ञापन क्षेत्रों के दस प्रतिशत (10%) की सीमा तक अवस्थानों में वृद्धि या कमी सहित परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(छ) प्रत्येक विज्ञापन या आकाश चिन्ह जोन का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाएगा और आधार नीलामी मूल्य/आरक्षित मूल्य अवधारित करने के लिए उसे नियत किया जाएगा। समिति आवश्यकतानुसार आधार नीलामी मूल्य का पुनर्निर्धारण और पुनरीक्षण कर सकती है।

(ज) तकनीकी समिति द्वारा चिन्हित जोन पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवंटन समिति द्वारा उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित जोन के सम्बंध में तकनीकी समिति द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(झ) समिति, मेला, उत्सव, संगीत समारोह, कार्यशाला, जादू शो, नाटक, फिल्म की शूटिंग आदि जैसे आयोजनों के दौरान अस्थायी चिन्हों/विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजक द्वारा किए गए किसी भी आवेदन के लिए अनुज्ञा संबंधी दिशा-निर्देश, विज्ञापन दरें आदि भी निर्धारित करेगी।

(ञ) समिति, स्थान के अनुसार तथा सभी विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी प्रकार के आकाश-चिन्हों के लिए विज्ञापनों का अधिकतम आकार विनिश्चित करेगी।

(ट) समिति, नियम 12 में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने अथवा धोने की लागत विनिश्चित करेगी।

अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

5-(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जाएगी—

(क) सफल बोलीदाता/निष्पादक बोली अभिलेख में उल्लिखित अवस्थानों के अतिरिक्त अन्य अवस्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेगा;

(ख) विज्ञापनकर्ता अपने द्वारा विज्ञापित प्रत्येक अवस्थान का विवरण, जियो-टैग डेटा और चित्रों के साथ नगर निगम की वेबसाइट/ई-नगर सेवा पोर्टल पर या नगर आयुक्त द्वारा यथाविहित किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत करेगा;

(ग) यदि इस नियमावली के अनुसार शुल्क या प्रीमियम सहित शुल्क, निगम में संदत्त और जमा किया गया हो तब अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि तक के लिए ऐसी अनुज्ञा प्रदान की गयी हो;

(घ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुद्भूत किया जाएगा जैसा कि बोली दस्तावेजों में विहित हो और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 06 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी;

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को उचित स्थिति में रखा जाएगा और उसका उचित रख-रखाव किया जाएगा तथा कोई भी विज्ञापन युक्ति जो प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से गिर गयी हो और यातायात के संचलन में बाधा उत्पन्न कर रही हो, उसे विज्ञापनकर्ता द्वारा तुरंत हटाया जाएगा;

(च) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विशिष्टताओं में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा;

(ज) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से तीस दिन के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे;

(झ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित, प्रदर्शित, संप्रदर्शित या परिनिर्मित किये जाएंगे;

(ञ) सड़क के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों इत्यादि के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध होगी;

(ट) विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप यदि कोई भवन स्थित हो तो उसके प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जाएगा;

(ठ) लोकहित में, नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, पूर्व सूचना देकर अनुज्ञापत्र को निलंबित कर सकते हैं। तथापि, इस प्रकार की कार्रवाई करने से पूर्व, नगर आयुक्त द्वारा लाइसेंसधारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें लाइसेंसधारी को नोटिस जारी करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु एक (1) माह की अवधि प्रदान की जाएगी। लाइसेंसधारी के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात, अनुज्ञापत्र के निलंबन के संबंध में विनिश्चय 15 दिवस की अवधि के भीतर किया जाएगा। ऐसे निलंबन के पश्चात, विज्ञापनकर्ता को उक्त चिन्ह को हटाना होगा;

(ड) विज्ञापनों चिन्हों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए;

(ढ) किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(ण) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष उनकी अनुमति और प्रचलित कानूनों के अनुपालन के बिना लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी;

(त) विज्ञापनों, चिन्हों एवं उनके अवलम्बों का अनुरक्षण और निरीक्षण नियम 22 के अनुसार होगा।

(थ) समस्त विज्ञापन नियम 15 “समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षाएं” में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

(द) विज्ञापनों चिन्हों को वृक्षों या काष्ठमय पौधों में कील से टोका अथवा बांधा नहीं जाएगा;

(ध) विज्ञापन कर्ता इस नियमावली और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित विनियमावली का अनुपालन करेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जाएगा—

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है;

(ख) यदि कोई उपान्तरण, नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर, किया जाता है;

(ग) यदि विज्ञापन चिन्ह या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन चिन्ह परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन से विज्ञापन चिन्ह या उसका कोई भी भाग प्रभावित होता है; या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन चिन्ह परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6—(1) नगर आयुक्त, समिति के साथ समन्वय करके बाजार अध्ययन करने के पश्चात् प्रीमियम प्रत्येक स्थल/जोन के लिए न्यूनतम प्रीमियम राशि नियत करेगा। नगर आयुक्त बाजार सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण के लिए किसी प्रतिष्ठित संगठन/संस्था को नियुक्त कर सकता है।

(2) आरक्षित मूल्य निम्नलिखित कारकों पर आधारित होगा:—

(क) नगर निगम निविदा आमंत्रित करने से पहले आवंटित स्थान की माप कराएगा;

(ख) नगर निगम द्वारा नियत आधार मूल्य (बाजार सर्वेक्षण और मांग के अनुसार नगर निगम द्वारा नियत किया जाएगा)।

(3) तकनीकी समिति विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए अलग-अलग दरें तय करेगी, जैसे—नॉन-बैकलिट स्टेटिक, बैकलिट स्टेटिक और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक।

7—(1) प्रत्येक निगम में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक आवंटन समिति होगी:—

आवंटन समिति

क्र०सं०	अधिकारी	पदनाम
1	अपर नगर आयुक्त (नगर आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट)	अध्यक्ष
2	निगम का मुख्य अभियंता (सिविल)	सदस्य
3	विज्ञापन तथा विज्ञापन पट्ट के प्रभारी निगम अधिकारी	सदस्य सचिव
4	निगम का वरिष्ठतम वित्त अधिकारी	सदस्य
5	निगम के राजस्व विभाग (नगर राजस्व सेवा संवर्ग) का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

(क) यदि आवश्यक हो तो नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य/सदस्यों को विशेष आमंत्रिती के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) आवंटन समिति, आवेदकों की तकनीकी पात्रता और वित्तीय पात्रता दोनों को सुनिश्चित करते हुए पूर्व-योग्यता मानदंड निर्धारित करेगी।

(ग) आवंटन समिति, नीलामी/निविदा की निबंधन और शर्तों के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करेगी, जिसे तत्पश्चात निविदा अधिसूचना में सम्यक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

(घ) शहर भर में सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन का प्रबंधन सीमित संख्या में अभिकरणों द्वारा किया जाएगा (प्रति जोन एक से अधिक अभिकरण नहीं)।

(2) तकनीकी समिति प्रत्येक बोली क्षेत्र के लिए कुल क्षेत्रफल के आधार पर बोली के लिए आरक्षित मूल्य नियत करेगी।

(3) जो बोलीदाता उच्चतम मूल्य जिसे प्रस्ताव मूल्य कहा जाता है की बोली लगाएगा, वह विजेता बोलीदाता/सफल बोलीदाता होगा।

(4) सफल बोलीदाता अनुबंध मूल्य में प्रति वर्ष न्यूनतम 5% की वृद्धि के लिए दायी होगा।

(5) प्रतिभूति निक्षेप, कार्य की पूर्णता के दिनांक से 90 दिनों के पश्चात, बिना किसी ब्याज के, कटौतियों सहित, यदि कोई हो, वापस की जाएगी।

(6) व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक समय के रूप में अधिकतम 180 दिवस दिए जाएंगे।

(7) अनुबंध समाप्त होने के 30 दिवसों के भीतर, लाइसेंसधारी को समस्त व्यवस्था हटा देना होगा। ऐसा न करने पर, नगर निगम को परिसंपत्तियों को जब्त करने/हटाने की स्वतंत्रता होगी और इसे हटाने की लागत लाइसेंसधारी पर प्रभारित की जाएगी।

(8) आवंटन समिति इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदन करेगी।

(9) उच्चतम प्रस्ताव वाले आवेदक को देय प्रीमियम धनराशि जो प्रत्येक वर्ष दो छमाही समान किश्तों में जमा की जा सकेगी, जमा करने के पश्चात अनुज्ञा दी जा सकेगी।

(10) सदस्य-सचिव, समिति की सिफारिश एवं नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात अनुज्ञा आदेश जारी करेंगे।

(11) अनुज्ञा आदेश तभी जारी किया जाएगा जब विज्ञापनदाता द्वारा अनुमोदित प्रीमियम की 2% की दर से जमानत राशि निगम में जमा करा दी जाएगी।

(12) अनुज्ञा आदेश में विस्तृत जानकारी, अनुदेश और निबन्धन और शर्तें उल्लिखित की जाएंगी।

(13) प्रत्येक जोन में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए पूर्वोक्त उल्लिखित रीति से नीलामी या निविदा की जाएगी।

(14) निजी संपत्ति के स्वामी को विज्ञापन के प्रयोजन से अपनी संपत्ति/परिसर का उपयोग करने के लिए लाइसेंसधारी के माध्यम से विज्ञापन की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए और अनुज्ञा, नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन और अनुपातिक शुल्क जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञात/प्रदान की जाएगी।।

(15) आवंटन समिति/नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि विज्ञापन उपकरणों को नवीनतम तकनीकों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन किया जाए।

8-नियम-5 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है:-

(क) आवेदन में अपेक्षित सूचना और ब्यौरा अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो;

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, विद्रोही या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आक्षेपणीय लेख या अश्लील गन रेखाचित्र या चित्र या मदनोन्मत्तता का कोई चिन्ह अन्तर्विष्ट हो;

आवेदनों की
अस्वीकृति के
आधार

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न होने की संभावना हो या वह किसी लोक नीति के विरुद्ध हो;

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की संभावना हो;

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में बाधा या परिसंकट उत्पन्न होने की संभावना हो;

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार असंगत हो;

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को उस भूमि या भवन पर स्थापित या प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा हो, जिसके सम्बंध में नगर निगम का बकाया शुल्क आवेदन के दिनांक को असंदत्त हो;

9—प्रत्येक जोन में 3 प्रकार के लाइसेंस होंगे—

लाइसेंस के प्रकार

(क) तकनीकी समिति द्वारा चिह्नित विभिन्न खुले स्थानों पर विज्ञापन हेतु लाइसेंस।

(ख) निजी संपत्तियों/परिसरों पर विज्ञापन के लिए लाइसेंस, (लाइसेंसधारी और संपत्ति के स्वामी के बीच करार के अनुसार) लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जिसे नगर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन और आनुपातिक शुल्क जमा करने पर ही मंजूर की जायेगी या अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(ग) आयोजन के लिए लाइसेंस— यदि कोई आवेदक किसी आयोजन जैसे मेला, जादू शो, संगीत समारोह, संगीत गोष्ठी, फिल्म की शूटिंग आदि से जुड़े अस्थायी चिन्ह/विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहता है तो उसे नगर आयुक्त को आवेदन देकर अनुज्ञा अभिप्राप्त करना होगा।

10—(1) नियम-9 के उपनियम (1) के खण्ड (क) की दशा में किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आवंटन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा—

प्रदान करने की रीति

(क) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(ख) निविदा आमंत्रण द्वारा,

(ग) नियम और विनियम के अनुसार विद्यमान लाइसेंस का समय विस्तार द्वारा।

(2) नियम-9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) की दशा में नगर आयुक्त कार्यक्रम के आयोजक के आवेदन पर अनुज्ञा दे सकता है।

11—(1) विज्ञापन की अनुज्ञा नौ (9) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी जिसे अग्रतर अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

अनुज्ञा की अवधि

(2) यदि लाइसेंसधारी दी गयी अनुज्ञा अवधि के विस्तार की मांग करता है, तो लाइसेंसधारी को वर्तमान अनुज्ञा की समाप्ति से नब्बे (90) दिन पूर्व नगर आयुक्त के समक्ष ऐसे विस्तार के लिए आवेदन करना होगा। विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विस्तार के लिए आवेदन न करने पर, मूल अवधि पूरी होने पर अनुज्ञा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(3) नगर आयुक्त नियम 11(2) के अधीन प्राप्त आवेदनों का निपटारा वर्तमान अनुज्ञा के अवसान से पैंतालिस (45) दिन पूर्व करेगा।

(4) यदि विस्तार की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, तो लाइसेंसधारी को इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार शुल्क जमा करना होगा।

(5) यदि विस्तार सम्बंधी आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो लाइसेंसधारी इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार विज्ञापनों को हटा देगा या मिटा देगा।

(6) यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति कारण से नगर आयुक्त वर्तमान अनुज्ञा के अवसान से पैंतालीस (45) दिन पूर्व आवेदन पर विनिश्चय करने में असमर्थ हो तो अनुज्ञा 3 माह के लिए विस्तारित मानी जाएगी तथा लाइसेंसधारी को विस्तारित समयावधि के लिए आनुपातिक शुल्क जमा करना होगा।

विज्ञापन या
विज्ञापन पट्ट
हटाने की
शक्ति

12—(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, चिपकाया जाता है, लगाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है और, लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा का कारण हो तो नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि, लाइसेंसधारी को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली करेगा:—

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षति की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन चिन्ह नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन चिन्ह संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन चिन्ह हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसेंसधारी से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बंधित विभाग को अन्तरित किया जायेगा।

(3) यदि किसी भूमि और भवन पर लगाया गया, प्रदर्शित, स्थापित या रखा गया कोई विज्ञापन युक्ति अनधिकृत है और इस नियमावली का उल्लंघन करता है, तो ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को नगर आयुक्त/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा और ऐसे अनधिकृत विज्ञापन या विज्ञापन युक्तियों को हटाने से सम्बंधित व्यय सम्बंधित लाइसेंसधारी और/या उस व्यक्ति (यदि लाइसेंसधारी द्वारा पूर्व सूचना दी गई हो) से, जो अनधिकृत विज्ञापन करता है, से मांग के माध्यम से अथवा ऐसे अनधिकृत विज्ञापन युक्ति/संरचना के जब्ती, बिक्री और नीलामी के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

विज्ञापन पर
निबन्धन

13—(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, संप्रदर्शित नहीं किया जाएगा, चिपकाया नहीं जाएगा, लगाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जाएगा, चित्रित नहीं किया जाएगा या लटकाया नहीं जाएगा यदि—

(क) विज्ञापन का आकार उस स्थान के लिए तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित विज्ञापन के अधिकतम आकार से अधिक हो;

(ख) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

(ग) यह मार्ग से समानान्तर न हो या इससे वाहन या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

(घ) नियम 4 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(ङ) यह मार्ग एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर आर-पार स्थापित किया गया हो;

(च) यह उस निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

(छ) यह विद्यमान विधियों के उपबंधों के उल्लंघन में ऐतिहासिक, पुरातात्विक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के पास अवस्थित हो;

(ज) ऐसा स्थल जो विज्ञापन के प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रतिषेध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

(झ) यह जर्जर स्थिति में हो और वर्षा या आंधी में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, यदि:—

(क) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि आने वाले, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने वाले यातायात की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के मार्गाधिकार के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के वाहन मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर;

(ग) नियम 17 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के वाहन मार्ग के छोर के 1.0 मीटर के भीतर;

(घ) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर;

- (ड) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न या व्यवधान उत्पन्न हो;
- (च) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक, जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और परिसंकटमय हो;
- (छ) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;
- (ज) जब इनसे सार्वजनिक सुविधाएँ प्रभावित हो।
- (3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी:-
- (क) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है;
- (ख) ऐसी सघनता या चमकवाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया के प्रचालन में विघ्न पड़ता हो;
- (ग) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।
- (4) किसी भी परिसर या भवन पर विज्ञापन:-
- (क) समस्त संरचनाओं को अधिनियम के अनुसार निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी वृत्तिशील संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा;
- (ख) नियम-9 के अनुसार भवन स्वामी एवं लाइसेंसधारी के मध्य उचित करार होना चाहिए;
- (5) विज्ञापन का आकार-
- (क) किसी एकल मार्ग पर विज्ञापन पट्ट का आकार समान रखा जाएगा, जिसका निर्धारण तकनीकी समिति द्वारा संलग्न मार्ग के आनुपातिक सामान्य औसत चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (6) बीमा-
- (क) लाइसेंसधारी को अपने विशेष अधिकारों, हितों और तीसरे पक्ष के प्रति देयताओं के लिए सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी और उसे बनाए रखना होगा।
- (ख) लाइसेंसधारी, अपने व्यय पर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या शारीरिक चोट या सम्पत्ति की हुई क्षति को आच्छादित करने वाली सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी प्राप्त करेगा और अनुरक्षित रखेगा। न्यूनतम बीमित राशि प्रचलित सरकारी नीति/नियमों के अनुसार होगी।
- (ग) यदि लाइसेंसधारी नियम 13(6)(क) और 13(6)(ख) के अनुसार बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं करता है, तो तृतीय पक्ष देयता राशि लाइसेंसधारी द्वारा अपने व्यय पर संदेय होगी और इसे भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जाएगा।
- (7) प्रतिषिद्ध विज्ञापनों की सूची:-
- (क) नग्नताय
- (ख) प्रजातीय विज्ञापन या जाति, समुदाय या जातीय मतभेदों को प्रचारित करने वाले विज्ञापन;
- (ग) मादक द्रव्यों, एल्कोहल, सिगरेट या तम्बाकू मदों को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन;
- (घ) महिलाओं या बच्चों के शोषण को प्रचारित करने वाले विज्ञापन;
- (ङ) लैंगिक भावना से ओतप्रोत विज्ञापन;
- (च) पशुओं के प्रति क्रूरता दर्शाने वाला विज्ञापन;
- (छ) किसी राष्ट्र या संस्था को गलत रूप में चित्रित करने वाला विज्ञापन;
- (ज) किसी भी ब्रांड या व्यक्ति पर आक्षेप लगाने वाला विज्ञापन;
- (झ) विधि द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन;
- (ञ) हिंसा का महिमामंडन करने वाला विज्ञापन;
- (ट) नाशक युक्तियाँ और विस्फोटक मदों का चित्रण;
- (ठ) लॉटरी टिकट, जुआ की प्रविष्टियाँ और स्लॉट मशीनों से संबंधित विज्ञापन;
- (ड) कोई भी भ्रमित करने वाला, लेजर या गतिमान प्रदर्शन;
- (ढ) आयुध और सम्बंधित मदों (जैसे आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र के भाग और मैगजीन, गोला-बारूद आदि) का विज्ञापन;
- (ण) ऐसे विज्ञापन जो मानहानिकारक, व्यवसाय अपमानलेखीय, अविधिक रूप से धमकी देने वाले या अविधिक रूप से तंग करने वाले हो सकते हैं;

(त) विज्ञापन, जो अश्लील हो सकते हैं या जिनमें अश्लील साहित्य हो सकते हैं या जिनमें स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 60, सन् 1986) के अर्थ में 'स्त्री अशिष्ट रूपण' शामिल हो सकता है;

(थ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े विज्ञापन या उन मदों, माल या सेवाओं का विवरण सम्मिलित करना जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी लागू विधि के अधीन प्रतिषिद्ध हैं, जिनमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23, सन् 1940), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1954), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45, सन् 2023) सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(द) समिति द्वारा विज्ञापन हेतु अनुपयुक्त समझी गई कोई अन्य मद।

(8) सामान्य निर्बंधन,—

(क) कोई भी बाह्य विज्ञापन संलग्न सड़क के वाहन पथ पर अतिक्रमण नहीं करेगा;

(ख) किसी भी विज्ञापन के लिए केवल स्थायी रूप से नियत व्यवस्था की मंजूरी होगी;

(ग) फिटिंग एवं फिक्स्चर की संरचना/डिजाइन, अधिनियम के अनुसार निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त किसी वृत्तिशील संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इस संबंध में, नगर आयुक्त किसी विशिष्ट सरकारी संस्थान से भी प्रमाणन की अपेक्षा कर सकते हैं;

(घ) आधिकारिक सड़क फर्नीचर का उपयोग किसी भी विज्ञापन युक्ति की सहायक संरचना के रूप में नहीं किया जाएगा;

(ङ) उन वृक्षों के लिए ट्री गार्ड या अन्यथा पर कोई विज्ञापन की मंजूरी नहीं दी जाएगी जो स्वयं-निर्भर हैं;

(च) यदि किसी विज्ञापन उपकरण में ऑडियो सुविधा है, तो ऑडियो की ध्वनि स्तर को इस प्रकार सीमित किया जाएगा कि आने-जाने वालों का ध्यान भंग न हो;

(छ) विज्ञापन पैनल की सहायक संरचना और सतह में चकाचौंध रोकने के लिए गैर-परावर्तक परिसज्जा होगी;

(ज) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तथा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

विज्ञापन चिन्हों के प्रकार
(1) विद्युत और प्रदीप्त चिन्ह
(2) भू-चिन्ह
(3) छत चिन्ह
(4) बरामदा चिन्ह
(5) दीवार चिन्ह
(6) प्रक्षेपित चिन्ह
(7) मार्की चिन्ह
(8) एंकर्ड या प्लोटिंग चिन्ह
(9) विविध और अस्थायी विज्ञापन

14—(1) विद्युत चिन्ह और प्रदीप्त चिन्ह:—

(क) विद्युत विज्ञापन की सामग्री—जहाँ चिन्ह पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त चिन्ह हो, उसे छोड़कर प्रत्येक विद्युत चिन्ह पट्ट अञ्चलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) विद्युत चिन्हों और प्रदीप्त चिन्हों का संस्थापन— प्रत्येक विद्युत चिन्ह और प्रदीप्त चिन्ह को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के भाग-8 भवन सेवाएं अनुभाग-2 विद्युत और समवर्गी संस्थापन के अनुसार स्थापित किया जाएगा।

(ग) लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त चिन्ह, किसी प्रदीप्त यातायात चिन्ह के 10 मीटर की क्षेतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जाएगा।

(घ) दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी उच्चतर ऊँचाई है, पर सफेद प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश से प्रदीप्त समस्त विज्ञापन चिन्ह यातायात के नियंत्रण के लिए किसी चिन्ह या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के विघ्न को सन्तोषजनक रूप से रोकने के लिए यथोचित रूप से प्रतिच्छादित किए जायेंगे।

(ङ) गहन प्रदीप्त—कोई व्यक्ति ऐसा कोई चिन्ह परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि पार्श्वस्थ या समीपवर्ती निवासीय भवनों के निवासियों को विघ्न उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे चिन्ह, जो परिनिर्माण के पश्चात नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि पार्श्वस्थ या निकट के भवनों के अधिभोगियों को विघ्न उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी उचित अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर यथोचित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा।

(च) परिचालन अवधि:— सार्वजनिक सुख-सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक चिन्ह से भिन्न कोई विद्युत चिन्ह, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जाएगा।

(छ) चौंधने वाला, ओझल करने वाला, और सजीवता प्रदान करने वाला:— कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन चिन्ह, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(ज) विमानपत्तनों के आस-पास प्रदीप्त चिन्हों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(2) भू-चिन्ह:-

(क) सामग्री : चौखटों, आलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू-चिन्ह, नियम-15 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री के सिवाय अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) आयाम : भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू-चिन्ह परिनिर्मित नहीं किया जाएगा। प्रकाश परावर्तन चिन्ह के अग्रभाग या मुख भाग से ऊपर जा सकता है।

(ग) आलम्ब और स्थिरक : प्रत्येक भू-चिन्ह को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। आलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट रोध हेतु संसाधित धातु के होंगे।

(घ) स्थल सफाई: किसी स्थल जिस पर कोई भू-चिन्ह परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदनानुसार स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ङ) यातायात में बाधा: ऐसा कोई भू-चिन्ह परिनिर्मित नहीं किया जाएगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उससे बाहर जाने में बाधा उत्पन्न हो।

(च) तल निर्बाधन: समस्त भू-चिन्हों का तल आधार भूमि से कम से कम 02 मीटर ऊपर होगा किन्तु मध्यवर्ती स्थान को खुले जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से भरा जा सकता है।

(छ) भू-चित्रित चिन्ह, जहां लागू हो वहां नियम-15 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(3) छत चिन्ह:-

(क) सामग्री: नियम 15 के उपनियम (4) के सिवाय चौखटों, आलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत चिन्ह को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन के उपबंध किए जाएंगे और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ, अक्षरों या अन्य अलंकारिक रूपों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएगी।

(ख) आयाम: विज्ञापन बोर्ड का आकार नियम 4(3)(ज) के अनुसार होगा और इसकी अधिकतम ऊँचाई लागू भवन विनियमों के अनुरूप होगी।

(ग) अवस्थिति: किसी भवन के छत पर कोई छत चिन्ह, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त गमन निवारित हो। कोई छत चिन्ह, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

(घ) प्रक्षेपण: कोई छत चिन्ह भवन के विद्यमान भवन लाइन के आगे प्रक्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के बाहर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

(ङ) आलम्ब और स्थिरक: प्रत्येक छत चिन्ह को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में वितरित होगा।

(च) विमानपत्तनों के समीप छत चिन्हों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त किया जाएगा।

(छ) चित्रित छत चिन्ह, नियम- 15 'समस्त चिन्हों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' जहां लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(4) बरामदा चिन्ह:-

(क) सामग्री: प्रत्येक बरामदा चिन्ह नियम-15 के उपनियम (4) के सिवाय पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

(ख) आयाम: कोई बरामदा चिन्ह ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा चिन्ह लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय चिन्ह के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतः धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मिली मीटर से अनधिक माप वाला बरामदा बाक्स चिन्ह, परिनिर्मित किया जा सकता है।

(ग) संरक्षण: प्रत्येक बरामदा चिन्ह, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी चिन्ह को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

(घ) अवस्थिति: बरामदा चिन्ह, जो लटकाने वाले चिन्ह पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाये जाएंगे:-

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी रीति से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से प्रक्षेपित न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के समक्ष किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और चिन्ह ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से 0मी0 से अधिक प्रक्षेपित न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए चिन्ह पट्टिकाओं के मामले में बरामदा धरनों या मुंडेरों पर।

(ड) लटकते हुए बरामदा चिन्हों की ऊँचाई: किसी बरामदा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा चिन्ह इस प्रकार से स्थिर किया जायेगा कि ऐसे चिन्हों का सबसे निचला भाग खड़न्जा से ऊपर 2.5 मीटर से कम न हो।

(च) प्रक्षेपण: नियम 14 (4)(घ) में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा चिन्ह, बरामदा की उस लाइन से, जिससे वह संलग्न हो, बाहर विस्तारित नहीं होगा।

(5) दीवार चिन्ह:-

(क) सामग्री: 04 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार चिन्ह नियम-15 के उपनियम (4) में दिये गये 'ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग' के सिवाय अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगा।

(ख) आयाम: किसी दीवार चिन्ह का कुल क्षेत्रफल सड़क के सामने जिधर ऐसे चिन्ह पट्टिका का सामना पड़ता हो, भवन के अग्रभाग के प्रत्येक 15 मीटर तक, 20 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा सिवाय इसके ऐसे दीवार विज्ञापन के मामलों में जिनमें नाट्यगृह या सिनेमा के नाम शामिल हैं, ऐसे चिन्ह का कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार चिन्ह किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगाया जायेगा जो प्रत्यक्ष सड़क के सामने न पड़ती हो, परन्तु यह कि ऐसे चिन्ह या चिन्हों सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग) प्रक्षेपण: कोई भी दीवार चिन्ह उस दीवार के जिससे वह संलग्न हो, शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बाहर नहीं विस्तारित होगा। किसी ऐसे स्थान पर, जहां पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, उससे संलग्न कोई चिन्ह वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगा, जो ऐसे स्थान की सतह से 2.5 मीटर माप की ऊँचाई के भीतर होगा।

(घ) आलम्ब और संलग्नक: दीवारों से लगा प्रत्येक दीवार चिन्ह सुरक्षित रूप से लगा होगा। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू स्टेपल्स या कील के सम्बन्ध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को, लकड़ी की दीवार चिन्ह के मामले को छोड़कर, उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

(6) प्रक्षेपण चिन्ह:-

(क) सामग्री: प्रत्येक प्रक्षेपण चिन्ह और उसका आलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होगा।

(ख) प्रक्षेपण एवं ऊँचाई: कोई भी प्रक्षेपण चिन्ह अपने आलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगा तथापि यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगा, किन्तु जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होता हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगा।

(ग) समस्त प्रक्षेपण चिन्हों के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो वहां भवन के समक्ष चिन्ह का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(घ) कोई भी प्रक्षेपण चिन्ह छत की ओरी के ऊपर या भवन के अग्रभाग के उस भाग, जिससे वह संलग्न हो, के ऊपर विस्तारित नहीं होगा।

(ड) किसी प्रक्षेपण चिन्ह की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

(च) आलम्ब एवं संलग्नक: प्रत्येक प्रक्षेपण चिन्ह किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगा होगा जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐंक्स, आलम्ब, चैन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हों, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियां परिस्थितिवश चिन्ह को थाम सकें। स्टेपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण चिन्ह को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

(छ) अतिरिक्त भार: ऐसी प्रक्षेपण सम्बन्धी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवा देने वाली युक्ति में, चाहे वह सेवा देने वाली युक्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से बनायी गयी है या न हो, किसी व्यक्ति को संभालने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को संभालने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी मामले में कल्पित रूप से भार डालने के आलम्ब पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के आलम्ब पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और उर्ध्वाधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को संभाल सके।

(7) मार्की (शामियाना) चिन्ह:-

(क) सामग्री: मार्की (शामियाना) चिन्ह पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित होगी।

(ख) ऊँचाई: ऐसी चिन्ह 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे प्रक्षिप्त होगी।

(ग) लम्बाई: मार्की (शामियाना) चिन्ह पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी मामले में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

(8) एंकर्ड या फ्लोटिंग चिन्ह:-

एंकर्ड या फ्लोटिंग चिन्ह जैसे हवा से भरे/गैस चालित/इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित उपकरण की दशा में ऐसे चिन्ह की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

(9) अस्थाई चिन्ह, सचल सर्कस चिन्ह, मेला चिन्ह एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट:-

नियम-14(10) के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी चिन्ह से भिन्न निम्नलिखित चिन्ह में से कोई विज्ञापन चिन्ह परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं की जाएगी-

(क) कोई ऐसा विज्ञापन चिन्ह जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसा विज्ञापन चिन्ह जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी, बेयरर, धरन या आलंब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसा विज्ञापन चिन्ह जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, धरन या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका चिन्ह।

(ङ) कोई भी चिन्ह जो इस प्रकार से दृढ़ता से स्थिर रूप से न लगा हो कि वह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने से रोके।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन चिन्ह किन्तु इसके अन्तर्गत विज्ञापन पट्ट या अहाता के लाइसेंस प्राप्त पेपर चिन्ह नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर x 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या समरूप प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

(10) अस्थाई चिन्हों की आवश्यकता:-

(क) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह सार्वजनिक समारोहों के दौरान अलंकरण नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(ख) ऐसी किसी विज्ञापन चिन्ह पर अंकित विज्ञापन केवल कारबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन चिन्ह परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन चिन्ह को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथा शीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिवस के भीतर हटा दिया जायेगा।

(ग) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन चिन्ह या अलंकरण को तत्काल हटाने का आदेश यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(घ) पोल चिन्ह: पोल चिन्ह पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और जहां लागू हो, भूमि या छत चिन्ह की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। ऐसे चिन्ह स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है यदि वे प्रक्षेपी चिन्ह के उपबन्धों के अनुकूल हो।

(ङ) अधिकतम आकार: अस्थाई विज्ञापन चिन्ह क्षेत्रफल में 10 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(च) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये विज्ञापन तख्ता को अस्थाई चिन्हों, प्रतीकों, मनोरंजन के इशतहार आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी:-मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इशतहार को विज्ञापन तख्ता से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इशतहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन चिन्हों को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

समस्त विज्ञापन
चिन्हों के लिए
सामान्य
आवश्यकताएं

15-(1) भार-विज्ञापन चिन्ह इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के भाग-6, संरचनात्मक अभिकल्प अनुभाग-1, भार, बल और प्रभाव" में दिये गये औधी, डेड, सेस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) प्रदीप्ति-कोई भी विज्ञापन चिन्ह, जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों और वायरिंग से भिन्न हो, "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 के भाग-8 भवन सेवाएं के अनुभाग-2 विद्युत एवं सम्बद्ध संस्थापन" की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी स्थिति में, किसी भी खुली चिंगारी या लौ का उपयोग प्रदर्शन उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा जब तक कि नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न किया गया हो।

(3) विज्ञापन चिन्हों की डिजाइन और अवस्थिति:-

(क) किसी भी विज्ञापन चिन्ह से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ख) यदि संभव हो, विज्ञापन चिन्हों को एकीकृत रूप में एकल किया जायेगा। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन चिन्ह न लगाया जाय।

(ग) विज्ञापन चिन्हों को प्रकाश उपकरण के साथ संयोजित किया जाएगा ताकि अनावश्यक खंभों को कम किया जा सके और संकेतों को प्रकाशित करने में सुविधा प्रदान की जा सके।

(घ) सूचना चिन्ह स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाये जाने चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जायेगा।

(ङ) जहाँ विज्ञापन चिन्हों से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहाँ विज्ञापन चिन्हों को लगाये जाने से वर्जन किया जायेगा।

(च) विज्ञापन चिन्ह इस प्रकार लगाने चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(छ) कोई भी विज्ञापन चिन्ह किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग:-

(क) अलंकारिक विशिष्टता: लकड़ी, प्लास्टिक या अन्य ज्वलनशील गुणों वाले सामग्री का उपयोग मोल्डिंग, कैपिंग, नेलिंग ब्लॉक्स, अक्षरों और जाली बनाने के लिए किया जा सकता है, जहाँ इसकी अनुमति हो, और अन्य केवल सजावटी विशेषताओं वाले संकेतों के लिए किया जा सकता है।

(ख) विज्ञापन चिन्ह का फलक: विज्ञापन चिन्ह का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बनाया जा सकता है, परन्तु यह कि प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग पूर्णतः धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेन्टीमीटर से अन्यून के निर्बाधन के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन चिन्हों को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण:-

जब भी कोई विज्ञापन चिन्ह हटाया जाय, चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसे विज्ञापन चिन्ह प्रदर्शित किये गये थे, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के समाधान पर की जायेगी। यदि विज्ञापन चिन्ह के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को नुकसान पहुंचता है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जायेगा।

(6) अनुज्ञा-पत्र के विवरण का प्रदर्शन:-

अनुज्ञा-पत्र का विवरण और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन चिन्ह पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

16—(1) किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा के बगैर और देय फीस के पूर्व संदाय के बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

दुकानों पर
विज्ञापन

स्पष्टीकरण—

● यदि दुकान के नाम, बेचे जाने वाले वस्तुओं या माल के नाम, बोर्ड लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाय तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वे इस नियमावली के अधीन प्रभार्य नहीं होंगे।

● यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन प्रभार्य होगी।

(2) दुकानों पर संकेतक की चौड़ाई उस दुकान की चौड़ाई से अधिक नहीं होगी जिस पर इसे प्रदर्शित किया गया है।

(3) प्रत्येक कारबार/दुकान स्वयं को केवल एक प्रावरणी संकेत तक निर्बंधित रखेगी। यद्यपि, एक अतिरिक्त चिन्ह उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए अनुमति योग्य हो सकता है, जिसके पीछे या किनारे पर एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार हो।

17—उनकी संभाव्यता, क्षेत्र की समग्र सौंदर्य और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर, निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी:—

मार्गाधिकार
(राष्ट्रीय या
राज्य राजमार्ग
को छोड़कर)
के भीतर
अनुज्ञा प्राप्त
विज्ञापन

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन:—

(क) डिजाइन: विज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे की अवस्थिति पर निर्भर करेगी। किसी भी मामले में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग से प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(ख) पट्ट का आकार 0.75 मीटर x 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ग) भू-तल के ऊपर से विज्ञापन पट्ट के निचले तल तक न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होगा। अतिरिक्त होर्डिंग बोर्डों अनुज्ञा अनुमति इसके ऊपर दी जा सकती है किन्तु बोर्डों के मध्य उर्ध्वाधर निकासी न्यूनतम 0.5 मी० होगी।

(घ) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते हैं और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा संप्रदर्शन की मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

(2) बस शैल्टरों पर विज्ञापन:—

(क) डिजाइन: विज्ञापन को बस आश्रयों के विज्ञापन बोर्ड पर अनुमति दी जाएगी, जिसमें बोर्ड की 1.5 मीटर लंबाई क्षेत्र और मार्ग संख्या के प्रदर्शन के लिए छोड़ी जाएगी।

(ख) बस शैल्टरों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई शैल्टर की कुल लम्बाई से अधिक नहीं होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ग) प्रत्येक बस आश्रय का निर्माण नगर निगम द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार किया जाएगा और यह अनिवार्य होगा कि परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित बस किराया, शहर की बसों के मार्ग संख्या के साथ बस मार्गों का विवरण प्रदर्शित किया जाए।

(घ) संबंधित लाइसेंसधारी, जिसे बस शैल्टर पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो उसे बस शैल्टर का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों को पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन:—

नियम 13 के उप नियम (2) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर x 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने का अनुज्ञा होगा।

(4) यातायात रोटरी और आईलैण्ड:—

नगर आयुक्त, यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी, यातायात प्रभारी) के परामर्श से लाइसेंसधारी को यातायात रोटरी व आईलैण्डों के विकास व अनुरक्षण की अनुज्ञा दे सकते हैं। संप्रदर्शन पट्ट का आकार यातायात रोटरी/आईलैण्ड की अवस्थिति और आकार और यातायात की गहनता पर निर्भर करेगा किन्तु संप्रदर्शन की ऊँचाई रोटरी/आईलैण्ड की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(5) मध्य विभाजकों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ:-

नगर आयुक्त लाइसेंसधारी को मध्य विभाजक/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका अनुरक्षण करने के साथ-साथ लाइसेंसधारी को पट्टियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। लाइसेंसधारी रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/ विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) वृक्ष रक्षक:-

नगर आयुक्त लाइसेंसधारी को पौधों के चारों ओर अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख रखाव करने के साथ-साथ अनुज्ञापी को वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(7) पुष्प पात्र स्टैंड्स:-

नगर आयुक्त लाइसेंसधारी को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्पपात्र स्टैंड्स की व्यवस्था एवं अनुरक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैंडों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 x 0.75 मीटर माप के विज्ञापन चिन्ह, उसके दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं :

परन्तु यह कि सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन चिन्ह के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए;

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

छूट

18-(1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी:-

(क) यदि किसी कार्यालय, दुकान या प्रतिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(ख) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(ग) किसी सरकारी या अर्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(घ) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिगनल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसों, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर x 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(ङ) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(च) कोई भी विज्ञापन जो आकाश चिन्ह नहीं है और जो:-

(एक) भूमि या भवन के नाम से संबंधित है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, या उस भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित है, या

(दो) किसी रेल प्रशासन के कारबार से संबंधित है, या

(तीन) किसी रेलवे स्टेशन के भीतर या रेलवे प्रशासन की किसी दीवार या अन्य संपत्ति पर प्रदर्शित किया गया है, सिवाय किसी सड़क के सामने ऐसी दीवार या संपत्ति की सतह के किसी भाग के।

(चार) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(छ) मेट्रो रेल/आर0आर0टी0एस0/रोप-वे आदि पर कोई भी विज्ञापन, जिसमें परिसम्पत्तियाँ, भवन, पुल, एफ0ओ0बी0, रोलिंग स्टॉक, भूमि या इसके द्वारा अधिभोग किया गया कोई परिसर सम्मिलित है, को उक्त नियमावली से छूट प्रदान की जाती है।

(2) **दीवार चिन्ह**: नीचे सूचीबद्ध दीवार चिन्ह के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) भण्डारण चिन्ह किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबार प्रतिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या प्रकाशित पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट, जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

(ग) नाम पट्ट: किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(3) **भू-विज्ञापन चिन्ह** : नीचे सूचीबद्ध भू-विज्ञापन के लिये किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) यात्रा मार्ग निर्देश: किसी ट्रांजिट लाइन, रेल ट्रैक, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक के स्थान को निर्दिष्ट करने वाले ऐसे विज्ञापन चिन्ह का परिनिर्माण या रखरखाव के लिये, जब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हों।

(ख) राजमार्ग विज्ञापन चिन्ह : सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय है, यद्यपि वे नियम-13 के उपनियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुक्त रूप से अनुरूप हों-

(एक) **वर्ग (1) कार्यशील विज्ञापन:-**

(एक) अपने शासकीय या निर्देशित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालयाधिकारी के निर्देशों के द्वारा या अधीन लगाये गये या संप्रदर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश, विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण-

आगे मार्ग विभाजक

सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण-

चिकित्सालय

बस स्टेशन

मुख्यतः किसी शहर, नगर, ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि, पर्यटक रुचि स्थल से सम्बंधित चिन्ह,

उदाहरण-

एलोरा गुफाएँ

फरीदाबाद नगर

सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परिनिर्मित विज्ञापन चिन्ह या सूचना आदि।

उदाहरण-

आर्टिलरी क्षेत्र आगे

क्षेत्रफल में 0.2 मीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबंधित करने से संबंधी विज्ञापन चिन्ह।

उदाहरण-

निजी सम्पत्ति

अतिचारी को अभियोजित किया जायेगा

0.2 मीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन चिन्ह या सूचना, जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(दो) **वर्ग (2): ऐसे परिसरों से संबंधित विज्ञापन जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाय:-**

(एक) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किया जाए, के संबंध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिये विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण-

कदम पर ध्यान

मोहन लाल एवं कम्पनी की सम्पत्ति

ऊषा किरन

किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन, जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, कारबार या व्यापार चला रहे हों, जहाँ ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं; और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो और क्षेत्रफल में 0.3 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण—

मोहनलाल एंड कम्पनी

किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि, जिस पर ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया हो, पर स्थित किसी होटल, सार्वजनिक गृह, डाकबंगला, फ्लैट ब्लॉक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में क्षेत्रफल में 1.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण—

इंजीनियरिंग कालेज

अवकाश गृह

रोटरी क्लब

(तीन) वर्ग (3): अस्थायी प्रकृति के विज्ञापन—

ऐसी भूमि, जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापन; ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बन्ध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित, किन्तु वह क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण—

किराये पर देने हेतु

विक्रय हेतु घर

सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहाँ ऐसे सामान या पशुधन स्थित हों या जहाँ ऐसा विक्रय किया जाता हो, जो क्षेत्रफल में 1.2 मीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण—

विक्रय इसी सप्ताह

पशु विक्रय

ऐसी भूमि पर, जिस पर विज्ञापन संप्रदर्शित किये जाय, भवन सम्बन्धी या तत्सदृश किये जाने से सम्बन्धित विज्ञापन, जो क्षेत्रफल में 0.2 मीटर से अधिक न हो।

उदाहरण—

सतर्क खुदाई प्रगति पर

किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक या मनोरंजन सम्बन्धी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना, जो ऐसी गतिविधि न हो, जिसे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन; जो किसी परिसर पर 0.6 मीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन के संप्रदर्शन तक सीमित हो।

उदाहरण—

दिवाली मेला

पुष्प प्रदर्शनी

(4) अस्थाई विज्ञापन चिन्ह—

(क) निर्माण स्थल चिन्ह : निर्माण चिन्ह, इंजीनियर एवं वास्तुविद के चिन्ह, और अन्य समान चिन्ह जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

(ख) विशेष संप्रदर्शन चिन्ह: अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शनों या नागरिक कल्याण के प्रोत्साहन या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो:

परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है।

(5) शासकीय कार्यक्रमों से संबंधित विज्ञापन इन नियमों से छूट-प्राप्त होंगे।

विशेष क्षेत्रों की घोषणा

19—(1) निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकेगी।

(2) कतिपय सड़कें या जोन केवल डिजिटल रीति से विज्ञापन हेतु अनुमत्य घोषित किये जा सकेंगे।

झण्डियों पर रोक

20—(1) कोई व्यक्ति किसी झण्डा का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति के भुगतान का दायी होगा, जो अधिनियम की धारा-550 के उपबन्धों के अधीन नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय।

(3) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डा चिन्ह को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है तथा भूराजस्व के बकाया के रूप में शास्ति वसूल सकता है।

21—(1) अनुरक्षण: सभी विज्ञापन चिन्ह जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, आलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ संरचनात्मक और सौन्दर्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से भली भाँति मरम्मत किये जायेंगे और जब जस्तीकरण या अनुमोदित संस्कारण प्रतिरोधी अज्वलनशील सामग्री से निर्मित न हो तो क्षरण निवारण हेतु आवश्यकतानुसार रंग रोगन किया जायेगा।

अनुरक्षण और निरीक्षण

(2) सुव्यवस्था: प्रत्येक विज्ञापन चिन्ह के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा अध्यासित परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) निरीक्षण: प्रत्येक विज्ञापन चिन्ह, जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई अनुज्ञा-पत्र अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(4) निगम लाइसेंसधारी द्वारा अनुपालन नियत करने हेतु नवीनतम तकनीक को अंगीकार करेगा और निगम हित की सुरक्षा के लिए नियत कालिक निरीक्षण किये जायेंगे।

22—(1) नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है, परन्तु यह कि—

प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

(क) ऐसा कोई भी प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को; और यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को उचित नोटिस दिये बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(ग) प्रवेश के प्रयोजन की अत्यावश्यकता से, जहां तक संभव हो सके, प्रविष्टि भवन या भूमि के अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथा को उचित सम्मान दिया जायेगा।

23—(1) विज्ञापनों पर शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय तकनीकी समिति द्वारा उपनियम (2) में दी गयी रीति से किया जाएगा।

क्षेत्रों/जोन का वर्गीकरण

(2) अवस्थान संभाव्यता को समुचित रूप से प्राप्त करने के लिए जोनिंग की दो प्रणालियों को संयोजन में कार्य करने का प्रस्ताव किया जाएगा—

(क) क्षेत्र जोनिंग

क्रमांक	श्रेणी	प्रकार
(एक)	जोन क—विकसित और उच्च घनत्व क्षेत्र	मिश्रित उपयोग विकास के साथ केन्द्रीय स्तर पर स्थित उच्चतम विज्ञापन संभाव्यता वाले क्षेत्र जैसे प्रमुख पारगमन केन्द्र और उच्च यातायात घनत्व वाले प्रीमियम आवासीय स्थान आदि।
(दो)	जोन ख—वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास	मध्यम विज्ञापन क्षमता वाला क्षेत्र, जिसमें कम यातायात घनत्व के साथ आगामी उच्चस्तरीय वाणिज्यिक और आवासीय विकास सम्मिलित है।
(तीन)	जोन ग—आवासीय क्षेत्र	न्यूनतम विज्ञापन संभाव्यता और कम यातायात घनत्व वाला क्षेत्र।

(ख) सड़क जोनिंग

क्रमांक	श्रेणी	प्रकार
(एक)	आर 1	उच्च विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(दो)	आर 2	मध्यम विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(तीन)	आर 3	कम विज्ञापन राजस्व संभावित सड़कें।
(चार)	आर 4	विज्ञापन निषिद्ध सड़कें।
(पांच)	आर 5	केवल डिजिटल विज्ञापन सड़कें।

(3) नगर निगम जोनिंग प्रणाली में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले विकास को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक होने पर जोनिंग की समीक्षा करेगा।

हटाये जाने की लागत	24—(1) नियम-12 में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत तकनीकी समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी। (2) नगर आयुक्त को शास्ति की धनराशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलने के लिये भी प्राधिकृत किया जायेगा।
नगर निगम/ सरकार के लिए समय का आरक्षण	25—(1) प्रत्येक घंटे में 5 मिनट का समय नगर निगम और/या सरकार द्वारा सामाजिक संदेशों के प्रदर्शन के लिए आरक्षित किया जाएगा, जो डिजिटल मोड पर निशुल्क विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। (2) आरक्षित विज्ञापन मिनटों को प्रत्येक घंटे नगर निगम/सरकार के निर्देशानुसार प्रदर्शित किया जाएगा। (3) एक महीने में 1 दिवस (एक वर्ष में अधिकतम 12 दिवस) निःशुल्क नगर निगम और/या सरकार के लिए सामाजिक संदेश प्रदर्शित करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। (4) विज्ञापन हेतु आरक्षित दिन नगर निगम/सरकार के निर्देशानुसार वर्ष के लिए प्रत्येक मास अथवा संचयी दिवसों पर होगा। (5) अप्रत्याशित घटना की स्थिति में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) के उपबंधों के अनुसार शक्तियां होंगी। (6) किसी भी पक्षकार द्वारा लाइसेंस अनुबंध के किसी भी निबंधन और शर्तों को पूरा करने या पालन करने कोई विफलता या चूक प्रश्नगत पक्षकार के विरुद्ध किसी भी दावे को उत्पन्न नहीं होने देगा या उक्त समझौते का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यदि ऐसी विफलता या चूक उस पक्षकार के उचित नियंत्रण से परे, किसी भी कारण से उत्पन्न होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के युद्ध, युद्ध जैसा संचालन, विद्रोह, दंगा, आग, विस्फोटक घटनायें सरकारी अधिनियम, सामग्री नियंत्रण विनियम या आदेश, दैवीय घटना सार्वजनिक शत्रु का कार्य, महामारी और संगरोध प्रतिबंध सम्मिलित हैं: परन्तु यह कि गैर-निष्पादित पक्ष ने दूसरे पक्ष को उन दायित्वों की शीघ्र लिखित सूचना प्रदान की हो जो वह करने में सक्षम नहीं होगा और ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित देखभाल की हो। (7) यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो लाइसेंसधारी को उक्त करार के अधीन अपने दायित्वों का पालन करने से रोकती है, तीस दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो निगम उक्त लाइसेंस करार को समाप्त करने के लिए लिखित सूचना द्वारा हकदार होगा।
विविध नियम	26—(1) प्रवर्तन दस्ते का आकार वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर जोनल स्तर पर नगर आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। (2) जहां अभिहित प्राधिकारी से भिन्न कोई विभाग नगर निगम की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर विज्ञापन करार हेतु आशयित हो तो प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम से पूर्व लिखित प्राधिकार प्राप्त करना होगा। (3) चयनित बोलीदाता को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) के अनुसार निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर एक विधिवत करार निष्पादित करना होगा।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 151/ IX-9-2026-12J/24, dated February 2, 2026:

No. 151/ IX-9-2026-12J-24

Dated Lucknow, February 2, 2026

WHEREAS, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Regulation of Sky Signs and Advertisements) Rules, 2026 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 314 *read* with Sections 305 and 306, sub-section (1) of Section 540 and Section 550 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U. P. Act no. II of 1959) was published as required by sub-section (2) of Section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and sub-section (2) of Section 23 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. I of 1904) *vide* notification no. 1464/IX-9-2024-E-1824886, dated September 26, 2024 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official *Gazette*;

AND, WHEREAS, the objections and suggestions received within the said stipulated period have been disposed of by Government Order no. 1634/IX-9-2025-12J/24, dated September 17, 2025.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 314 *read* with Sections 305 and 306, sub-section (1) of Section 540 and Section 550 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U. P. Act no. II of 1959) and in supersession of all existing rules, regulations, bye-laws or provisions pertaining to the regulation of sky signs and advertisements, the Governor is pleased to make the following rules, namely:—

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (REGULATION OF SKY SIGNS AND ADVERTISEMENTS) RULES, 2026

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Regulation of Sky Signs and Advertisements) Rules, 2026.

Short title,
extent and
commencement

(2) They shall extend to every Municipal Corporation of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette*.

(4) Once in effect, all approvals will be taken in compliance with the provisions of these rules. However, advertisement contracts already approved by the concerned authorities will continue as such till the expiry of their contract period as on the date of publication of these rules in the *Gazette*.

2.(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context, —

Definitions

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U. P. Act no. II of 1959);

(b) 'Advertiser/licensee' means a person who has been granted written permission under these rules to erect, fix, retain, exhibit, display, stick, paste, write, draw, or hang any advertisement or hoarding or sky sign and includes, the agent representative or employee of such person;

(c) 'Advertising sign' means any surface or structure with characters, letters or illustrations applied thereto and displayed in any manner whatsoever out of doors for purposes of advertising or to give information regarding or to attract the public to any place, person, public performance, article or merchandise whatsoever, and which surface or structure is attached to, forms part of or is connected with any building, or is fixed to a tree or to the ground or to any pole, screen, fence or hoarding or displayed in space;

(d) 'Advertisement' means the advertisement through advertising sign;

(e) 'Anchored or Floating Sign' means an air filled/gas propelled/electronically maneuvered apparatus anchored to a point on the ground and afloat in the air with or without a streamer of cloth, *etc.*;

(f) 'Banner' means a flexible substrate on which copy, or graphics may be displayed;

(g) 'Banner sign' means a sign utilizing a banner as its display surface;

(h) 'Committee' means the Technical Committee constituted as per rule 4;

(i) 'Corporation' means the Municipal Corporation of Uttar Pradesh;

(j) 'Digital/electronic sign' means an advertising sign that uses digital technologies for content presentation.

(k) 'Electrical sign' means an advertising sign in which electric fittings, which are an integral part of the signs, are used;

(l) 'Fee' means the annual charges specified for regulation of sky signs and advertisements;

(m) 'Ground sign' means an advertising sign detached from a building and erected or painted on the ground or on any pole, screen, fence or hoarding and visible to the public;

(n) 'Illuminated sign' means an advertising sign, permanent or otherwise, the functioning of which depends upon its being illuminated by direct or indirect light;

(o) 'Marquee sign' means an advertising sign attached to or hung from a marquee canopy or other covered structure projecting from and supported by the building and extending beyond the building wall, building line;

(p) 'Premium' means an amount paid over and above a base price.

(q) 'Projecting sign' means an advertising sign affixed to any building element and projecting more than 300 millimetres there from;

(r) 'Right of way' means width of the land secured and preserved for road purposes;

(s) 'Roof sign' means an advertising sign erected or placed on or above the parapet or any portion of a roof of a building including signs painted on the roof of a building;

(t) 'RWA' stands for Resident Welfare Association, registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860);

(u) 'Schedule' means the schedule/s appended to these rules;

(v) 'Temporary sign' means an advertising sign, banner or other advertising device constructed of cloth, canvas, fabric, or any other light material, with or without a structural frame, intended for a limited period of display, including decorative displays for holidays or public demonstrations;

(w) 'Verandah sign' means an advertising sign attached to, posted on, or hung from a verandah;

(x) 'Wall sign' means an advertising sign, other than a projecting sign, which is directly attached to or painted or pasted on the exterior surface of or structural element of any building;

(2) Words and expressions not defined but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act;

Prohibition

3.(1) No person shall without written permission of the Municipal Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf previously obtained, erect, exhibit, display, stick, paste, write, draw or hang any advertisement or any kind of information or picture which gives an impression of being an advertisement to a common prudent person, on any house, bridge, street, footpath, fly-over or the land appurtenant thereto or tree guard, city wall, boundary wall, city gate, electric or telephone poles, moving vehicles or any open place within the limits of the Corporation.

(2) No person owning or otherwise occupying any land or building within the limits of the Corporation shall, without the written prior permission of the Municipal Commissioner, erect, exhibit, display, stick, paste, write, draw or hang any advertisement or any part of such land or building, nor shall permit any other person to erect, exhibit, display, stick, paste, write, draw or hang any advertisement on such land or building if such advertisement is visible from any public place or public street.

(3) No hoarding shall be installed in such a manner that there is impediment of front and side vision in the movement of traffic.

(4) No hoarding shall be installed in Right of Way of National/State highway and within 10 meters of the edge of the carriageway of National/State highways.

(5) No hoarding shall be installed within 1.0 meter of the edge of the carriageway of other roads except as specified under rule 17.

4.(1) There shall be a Technical Committee in every Corporation, under the Chairmanship of the Municipal Commissioner, to identify proper and suitable sites for the advertisement or hoarding or sky sign, to divide them into zones and to decide their size, height and aesthetic aspect

Constitution of a
Technical
Committee

(2) The Technical Committee shall consist of: –

Sl. no.	Official	Designation
1	Municipal Commissioner	Chairperson
2	An Officer not below the rank of Superintendent of Traffic Police or Deputy Commissioner of Police/Additional Deputy Commissioner of Police (Traffic);	Member
3	Representative of Indian Railways	Member
4	Project Director of National Highway Authority of India;	Member
5	Executive Engineer of Public Works Department;	Member
6	Secretary, Development Authority;	Member
7	An officer of Town and Country Planning Department, if any, not below the rank of Assistant Town Planner/an officer of Development Authority from their Town Planning Wing/ Department, if any, not below the rank of Town Planner (nominated by VC, Development Authority);	Member
8	An Officer of Transport Department not below the rank of Assistant Regional Transport Officer;	Member
9	Representative of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation;	Member
10	Chief Engineer (Civil) of the Corporation	Member
11	The Traffic Engineer of Corporation or officer not below the rank of Executive Engineer (nominated by Municipal Commissioner);	Member-Secretary
12	Senior most Finance officer of the Corporation;	Member
13	Zonal Officer of the concerned Zone	Member
14	Reputed expert from the advertisement sector (nominated by Municipal Commissioner);	Special Invitee
15	A representative of a registered organization of Advertisers (nominated by Municipal Commissioner).	Special Invitee

(a) The Municipal Commissioner may co-opt any other member/s as he may think proper.

(b) A three-member advisory forum shall be setup constituting members to be nominated by the Mayor from Resident Welfare Associations and Corporators which shall give its suggestions to the Technical Committee.

(3) Functions of the Technical Committee–

(a) The Technical Committee shall divide the Municipal area into various area-based zones as per the provisions of rule 23. The existing zonal structure of the Municipal Corporation shall be kept in mind by the Technical Committee. The total no. of Advertisement Zones should not be more than the no. of zones in the Municipal Corporation.

(b) Different roads coming under each zone to be categorised based on their advertisement revenue potential.

(c) The committee shall identify all the locations suitable for display of advertisement coming under each zone and decide their sizes and types and assign unique identification numbers to each location.

(d) The committee shall prepare a master list/index of all finalised locations with the unique identification number, geo-tag data, size, and type of each advertisement within 90 days of these rules coming into effect. This list shall also be displayed on Nagar Nigam Website.

(e) The committee shall be responsible for review and update of this list annually.

(f) The Municipal Commissioner shall be authorised to make changes including increasing or decreasing of locations to the extent of ten percent (10%) of total advertisement area included in the master list.

(g) Market value of each advertisement or sky sign zone shall be assessed and fixed to determine the base auction value/reserve price. The committee may reassess and revise the base auction value as required.

(h) The applications shall be invited by the Allotment Committee for granting permission on the zones identified by the Technical Committee by advertising in at least two daily newspapers having wide circulation in that area. The advertisement must specify the minimum premium fixed by the Technical Committee regarding each proposed zone.

(i) The committee shall also frame permission guidelines, advertisement rates, *etc.*, for any application by event organiser for showcasing temporary signages/ advertisements during an event like mela, festival, music concert, workshop, magic show, drama, film shooting, *etc.*

(j) The committee shall decide the maximum size of advertisements for all types of sky-signs as per location and in observance of all legal requirements.

(k) The committee shall decide the cost of removal or washing off an advertisement or hoarding referred to in rule 12.

Conditions
for granting
permission

5.(1) The permission to erect, exhibit, display, stuck, paste, write, draw, or hang an advertisement or a hoarding shall be granted on the terms and conditions, that:

(a) the successful bidder/executioner shall not advertise on locations other than the those mentioned in the bid document;

(b) the advertiser shall put details of every location advertised by him with geo-tag data and pictures on Municipal Corporation website/e-nagar sewa portal or any other as prescribed by the Municipal Commissioner;

(c) the permission shall be effective only for the period for which it was granted, if fee or fee with premium has been paid and deposited to the Corporation, in accordance with these rules;

(d) the advertisement or hoarding shall be written, pasted, embossed, or painted in such colours and sizes as prescribed in the bid documents and the height of hoarding whether installed on ground or on building shall not be more than 6 Metre in height. The distance between two adjacent hoardings shall not be less than the width of the hoarding or 6 Metre, whichever is greater;

(e) the advertisement or hoarding shall be kept and maintained in proper conditions and any advertisement device which has fallen due to natural calamity or any other reason and causing obstruction to traffic movement shall be removed by the advertiser immediately;

(f) the permission granted shall not be transferable;

(g) the specifications of the advertisement or hoarding shall not be changed without the written permission of the Municipal Commissioner;

(h) the advertisers shall remove or wipe off the advertisement within 30 days from the expiry of the period for which the permission was granted;

(i) the advertisement boards or hoarding shall be installed, exhibited, displayed, or erected at the permitted place only;

(j) the land left open for road is available to the pedestrians, cyclists, *etc.* to have free and safe movement;

(k) the light and ventilation of buildings, if any situated near the signs and hoardings shall not be obstructed in any way;

(l) in the public interest, the Municipal Commissioner shall have the power to suspend the permit, with prior notice, before the expiration of the specified period. However, prior to taking such action, the Municipal Commissioner shall issue a notice by registered post to the licensee, providing a period of one (1) month for the licensee to submit an explanation clarifying the grounds for the issuance of the notice. Following the receipt of the licensee's response, a decision shall be made within a period of 15 days regarding the suspension of the permit. Upon such suspension, the advertiser shall be required to remove the sign;

(m) the signs should not spoil the aesthetic beauty of the locality;

(n) for any type of advertisement, plastics prohibited by the environment department shall not be used;

(o) the signs other than pertaining to building shall not be permitted to come in front of building such as hospitals, educational institutions, public offices, museums, buildings devoted to religious worship and buildings of national importance without their permission and in compliance with prevailing laws;

(p) the maintenance and inspection of advertising signs and their supports shall be in accordance with rule 22;

(q) all signs shall conform to the general requirements given in rule 15 'General Requirements for All Signs';

(r) the signs shall not be nailed or tied to trees or any other woody vegetation;

(s) the advertiser shall abide by these rules and the regulations laid down by the Municipal Commissioner;

(2) The written permission or the renewal granted by the Municipal Commissioner shall be revoked,:-

(a) if any sign or the part thereof falls either through an accident or any other causes;

(b) if any modification is made except for the purpose of making it secure under the direction of the Municipal Commissioner;

(c) if any change is made in the sign or part thereof;

(d) if any addition or alteration is made to the building or structure upon or over which the sign is erected and if such addition or alteration involves disturbance of the sign or any part thereof; or

(e) if the building or structure upon or over which the sign is erected, fixed, or restrained becomes demolished or destroyed.

6.(1) The Municipal Commissioner in coordination with committee shall fix the minimum premium amount for every site/zone after getting done a market study. The Municipal Commissioner may depute some reputed organization/ institution for market survey and price discovery. Premium

(2) Reserve Price shall be based on the following factors:-

(a) The Municipal Corporation shall get measured the allotment space before calling tender;

(b) Base Price as fixed by the Municipal Corporation (Shall be fixed by the Municipal Corporation, as per market survey and demand).

Allotment
Committee

(3) The technical committee shall decide different rates for different types of advertising types, such as Non-backlit Static, Backlit Static and Digital/ Electronic.

7.(1) There shall be an Allotment committee in every Corporation under the Chairmanship of the Additional Municipal Commissioner, consisting of: –

Sl. no.	Officer	Designation
1	Additional Municipal Commissioner (Nominated by Municipal Commissioner)	Chairperson
2	Chief Engineer (Civil) of the Corporation	Member
3	An officer of the Corporation in-charge of advertisement and hoarding.	Member, Secretary
4	Senior most Finance officer of the Corporation	Member
5	Senior most officer of the Revenue Department (Municipal Revenue Service Cadre) of the corporation.	Member

(a) If required, any other member/s shall be nominated by the chairperson as a special invitee with prior approval of Municipal Commissioner.

(b) Allotment Committee shall set the pre-qualification criteria ensuring both Technical Eligibility and Financial Eligibility of the applicants.

(c) The Allotment Committee shall obtain the approval of the Municipal Commissioner for the terms and conditions of the auction/tender, which shall thereafter be duly published in the tender notification.

(d) Advertisement in public spaces across the city shall be managed by limited number of agencies (not more than one agency per zone).

(2) Technical Committee shall fix the Reserve Price for Bidding on Total Area Basis for each bidding zone.

(3) Bidder who bids the highest value called as Offer Price shall be the winning bidder/successful bidder.

(4) Successful Bidder shall be liable for minimum 5% yearly escalation in contract value.

(5) Security deposit shall be returned with deductions, if any, without interest after 90 days from the date of completion.

(6) Maximum 180 days shall be given as processing time to establish the setup.

(7) Within 30 days from the completion of contract, the licensee shall remove all the setup, failing which, the Municipal Corporation shall be at liberty to forfeit/remove the assets and the cost of removal for the same shall be charged from the licensee.

(8) The Allotment Committee shall scrutinize application forms, tenders, offers in accordance with norms specified in these rules and approve accordingly.

(9) The permission shall be given to the applicant having highest offer after depositing the due premium amount which for each year may be deposited in two six-monthly equal instalments.

(10) The Member Secretary shall issue permission order after recommendation of the committee and approval of the Municipal Commissioner.

(11) Permission order shall be issued only after the security amount at the rate of 2% of approved premium is deposited by the advertiser to the Corporation.

(12) Detail information, instructions and terms and conditions shall be mentioned in the permission order.

(13) Every Zone for advertisement or hoarding shall be auctioned or tendered in the above manner by the same way.

(14) Private property owner should apply for obtaining the advertisement permission through the licensee to use his property/premises for advertisement purpose and the permission shall be allowed/given only with the prior approval of Municipal Commissioner and deposition of proportionate fees.

(15) The Allotment Committee/Municipal Commissioner shall ensure that advertisement devices are periodically upgraded in line with latest technologies.

8.(1) Every application for obtaining permission under rule 5 may be rejected on any one or more of the following grounds, that: –

Grounds for
rejection of
applications

(a) the application does not contain the requisite information and details or is not in conformity with these rules;

(b) the proposed advertisement is indecent, obscene, repulsive, revolting or objectionable character or prejudicial to the Municipal Corporation or savoring political propaganda or of a nature calculated to produce pernicious or injurious effect on public or any particular class of persons, or is displayed in such a place, in such a manner or by any such means as, in the opinion of the Municipal Commissioner, could be likely to affect injuriously the amenities of, or to disfigure any neighborhood or it contains objectionable writing or obscene nude sketches, pictures or any symbol of intoxication;

(c) the proposed advertisement is likely to create public nuisance or is against any public policy;

(d) the proposed advertisement is likely to cause damage to life or property during storm or hurricane;

(e) the proposed advertisement is likely to cause traffic disturbance or hazard;

(f) the site of the proposed advertisement would be inconsistent with the provisions of any law for the time being in force;

(g) the advertisement or hoarding is sought to be erected or displayed on any land or building for which municipal dues in respect of such land or building remains unpaid on the date of application;

9.(1) There shall be 3 types of licenses in each zone:

Types of
licenses

(a) License for advertisement at various open spaces as identified by the Technical Committee.

(b) License for advertisement on private properties/premises (should be complied with agreement between the licensee and the owner of the property) shall be obtained by the licensee who shall be allowed/given permission only with the prior approval of Municipal Commissioner and on deposition of proportionate fees.

(c) License for the event – in case an applicant wants to showcase temporary signages / advertisement linked to an event like mela, magic show, music festival, concert, film shooting *etc.* to be obtained through application to the Municipal Commissioner.

10.(1) In case of clause (a) of sub-rule (1) of rule 9, it shall be lawful for the Municipal Commissioner to grant permission on the recommendation of the Allotment Committee to erect, exhibit, display, stick, paste, write, draw, or hang an advertisement or hoarding in any one or more of the following modes: -

Mode of
granting

(a) by public auction;

(b) by inviting tenders;

(c) by time extension of existing license as per rules and regulations.

(2) In case of clause (c) of sub-rule (1) of rule 9, the Municipal Commissioner may give permission on application of organiser of the event.

Duration of permission	11.(1) The advertising permission shall be granted for a period of nine (9) years which may be further renewed for a maximum period of three years. (2) In case if the licensee seeks an extension of the duration of granted permission, the licensee shall apply for such extension before the Municipal Commissioner ninety (90) days prior to the expiration of the current permission. Failure to apply for the extension within the specified time frame shall result in the automatic termination of the permission upon the completion of its original term. (3) The Municipal Commissioner shall dispose of the applications received under rule 11(2) forty-five (45) days prior to the expiration of the current permission. (4) If the permission of extension is granted, the licensee shall deposit the fee as per the provisions in these rules. (5) If the application of extension is rejected, the licensee shall remove or wipe off the advertisements in accordance with the provisions in these rules. (6) If due to any unavoidable circumstances, the Municipal Commissioner is unable to make a decision on the application forty-five (45) days prior to the expiration of the current permission, the permission will be considered extended for 3 months and the licensee shall deposit the proportionate fees for the extended time period.
Power to remove the advertisements or hoardings	12.(1) If an advertisement or hoarding is erected, exhibited, displayed, stuck, pasted, written, drawn or hung in contravention of these rules, and is hazardous or dangerous to public safety or causes disturbance to safe traffic movement, the Municipal Commissioner or his authorised representative may get the same removed or washed off without any notice to the licensee and shall recover the following amounts from the security deposited:- (a) the expenses of such removal or washing off; and (b) the cost of damages for the period during which such advertisement or hoarding was erected, exhibited, displayed, stuck, pasted, written, drawn, or hung in such contravention. (2) Whenever any advertising sign is removed, whether in consequence of a notice or order by the Municipal Commissioner or otherwise, any damage or defacement in the building or site on or from which such sign was displayed, shall be made good to the satisfaction of the Municipal Commissioner. If during the removal of advertising sign, the road surface/footpath/traffic signal or any other public utility services is damaged then the money recovered from the licensee should be transferred to the concerned department by the Corporation. (3) If any advertisement device erected, exhibited, fixed or retained on any land and building is unauthorized and is in contravention of these rules, such advertisements or hoardings shall be removed by the Municipal Commissioner/Authorised Officer without any notice whatsoever and expenses regarding removal of such unauthorized advertisement or advertisement devices shall be recovered from the concerned licensee and/or person (in case prior intimation given by licensee) who poses to unauthorised advertisement through demand or through forfeiture, sale and auction of such unauthorised advertisement device/ structure.
Restrictions on advertisement	13.1) Notwithstanding anything contained in any contract or agreement, no advertisement or hoarding shall be erected, exhibited, displayed, stuck, pasted, written, drawn, or hung if,- (a) the size of the advertisement sign exceeds the maximum size of advertisement decided by the Technical Committee for that particular location; (b) it is located at a place within 30 meters measured along the road from the centre of crossing of any road, road junctions or bridges;

- (c) it does not run parallel to the road or obstructs or likely to obstruct the vehicular or pedestrian traffic;
- (d) in the opinion of the Committee, constituted under rule 4, the proposed site is unsuitable for the advertisement or hoarding;
- (e) it is placed across the road and road patri/footpath;
- (f) it projects outside any private premises on which it is so erected, exhibited or displayed;
- (g) it is located near historical, archeological or national monuments, public buildings and walls, hospitals, educational institutions, public offices, and places of worship in contravention of the provisions of existing laws;
- (h) the site falls within the prohibited area declared by the Corporation or the State Government or the Central Government for advertisement purpose;
- (i) it is in dilapidated condition and there are chances of it falling during rain or storm.

(2) Advertisements and hoardings shall not be permitted: –

- (a) in such manner and at such places as to obstruct or interfere with the visibility of approaching, merging, or intersecting traffic;
- (b) within right of way of National/State Highways and within 10 meters of the edge of the carriageway of National/State Highways;
- (c) within 1.0 meters of the edge of the carriageway of other roads except as specified under rule 17;
- (d) within 50 meters along the road, of any Sign Board erected for the regulation of traffic under the orders of a Public Authority such as Traffic Authority, a Public Transport Authority, or a Local Authority or Public Works Department or National Highway Authority of India;
- (e) in such a form as will obscure or hinder interpretation of any sign, signal or other device erected for traffic control by the Public Authorities;
- (f) on boards, placards, cloth banners or sheet hung across a road as they distract the attention of the driver and are therefore hazardous;
- (g) in such form as will obstruct the path of pedestrians and hinder their visibility at crossing;
- (h) when these will affect public amenities;

(3) Illuminated advertisements and hoardings of the following descriptions shall not be allowed:–

- (a) advertisements and hoardings, which contain, include, or are illuminated by any flashing, intermittent or moving light or lights except those giving public service information such as time, temperature, weather, or date;
- (b) illuminated advertisements and hoardings of such intensity or brilliance as to cause glare or impair vision of the driver or pedestrians or which otherwise interfere with any operation of driving;
- (c) advertisements and hoardings illuminated in such a way as to obscure or diminish effectiveness of any official traffic sign, device, or signal;

(4) Advertisement on any premises or building:–

- (a) All structures shall be certified by any practicing structural engineer licensed by the Corporation as per the Act;
- (b) Proper agreement should be done between the owner of the building and the licensee as per rule 9.

(5) Size of advertisement:—

Size of hoardings shall be kept uniform on one single road, which shall be decided by the Technical Committee, keeping in mind the proportionate general average width of the abutting road.

(6) Insurance,—

(a) Licensee shall obtain and keep a public liability insurance policy for their respective rights, interests, and liabilities to third parties;

(b) The licensee shall, at their own cost, obtain and maintain a public liability insurance policy covering accidental death, bodily injury to any person, or damage to property. The minimum insured amount shall be in accordance with the prevailing Government policy/rules;

(c) If the licensee does not obtain an insurance policy as per rules 13(6)(a) and 13.6(b), then the third-party liability amount shall be payable by the licensee at his own cost and shall be recoverable as arrears of land revenue.

(7) List of prohibited advertisements,—

(a) nudity;

(b) racial advertisements or advertisements propagating caste, community, or ethnic differences;

(c) advertisement promoting drugs, alcohol, cigarette, or tobacco items;

(d) advertisements propagating exploitation of women or child;

(e) advertisement having sexual overtone;

(f) advertisement depicting cruelty to animals;

(g) advertisement depicting any nation or institution in poor light;

(h) advertisement casting aspersion of any brand or person;

(i) advertisement banned by law;

(j) advertisement glorifying violence;

(k) destructive devices and explosives depicting items;

(l) lottery tickets, sweepstakes entries and slot machines related advertisements;

(m) any psychedelic, laser or moving displays;

(n) advertisement of weapons and related items (such as firearms, firearm parts and magazines, ammunition *etc.*);

(o) advertisements which may be defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing;

(p) advertisements which may be obscene or contain pornography or contain an "indecent representation of women" within the meaning of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (Act no. 60 of 1986);

(q) advertisement linked directly or indirectly to or including description of items, goods or services that are prohibited under any applicable law for the time being in force, including but not limited to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Act no. 13 of 1940), the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 (Act no. 21 of 1954), the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023);

(r) any other items considered inappropriate by the Committee for Advertisement;

(8) General Restriction,—

(a) no outdoor advertisements shall encroach the carriageway of abutting road;

(b) only permanent fixing arrangement shall be allowed for any advertisement;

(c) structure/design for fitting and fixture shall be certified by any practicing structural engineer licensed by the Corporation as per the Act. The Municipal Commissioner may expect certification from any specific Government Institute also in this regard;

(d) official road furniture shall not be used as the supporting structure of any advertising device;

(e) no advertisement on tree guards or otherwise shall be allowed for trees which are self-sustaining;

(f) in case any advertisement device has audio facility, volume of audio shall be restricted to a level such that commuter may not get distracted;

(g) the supporting structure and surface of advertising panel shall have a non-reflective finish to prevent glare;

(h) the guidelines issued by National Disaster Management Authority and the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority or any other competent authority from time to time shall be adhered to.

14.(1) Electric Signs and Illuminated Signs:—

Types of signs

(a) Material for Electric Sign: Every electric sign shall be constructed of non-combustible material except where the sign is purely a flood-lit sign.

(1) Electric and illuminated signs.

(b) Installation of Electric Signs and Illuminated Signs: Every electric sign and illuminated sign shall be installed in accordance with “Part 8 Building Services section 2 Electrical and Allied Installations” of the National Building Code, 2016.

(2) Ground signs

(3) Roof signs

(4) Verandah signs

(5) Wall signs

(6) Projecting signs

(7) Marquee signs

(8) Anchored or Floating signs

(9) Miscellaneous and temporary signs

(c) No illuminated sign in red, amber, or green colour shall be erected or maintained within a horizontal distance of 10 meter of any illuminated traffic sign.

(d) All advertising signs illuminated by light other than a white light at height of less than two storey or 6 meter above the footpath, whichever is greater height, shall be suitably screened to satisfactorily prevent any interference with any sign or signal for the control of traffic.

(e) Intense Illumination: No person shall erect any sign which is of such intense illumination as to disturb the residents in adjacent or nearby residential buildings. Notwithstanding any permission given for such erection, any such sign which after erection is in the opinion of the Municipal Commissioner, of such intense illumination as to disturb the occupants of adjacent or nearby buildings shall, on the order of the Municipal Commissioner, be suitably altered or removed by the owner of the site concerned within such reasonable period as the Municipal Commissioner may specify.

(f) Hours of Operation: No electric sign, other than those necessary in the opinion of the Municipal Commissioner in the interest of public amenity, health, and safety, shall be operated between midnight and sunrise.

(g) Flashing, Occulting and Animated: No flashing, occulting or animated advertising sign, the periodicity of which exceeds 30 flashes per minute, shall be erected.

(h) For illuminated signs in the vicinity of airports, ‘No Objection Certificate’ from Airport Authority shall be obtained.

(2) Ground Signs: –

(a) Material:— Every ground sign exceeding 6 meter in height together with frames, supports and braces shall be constructed of non-combustible material except as in sub-rule (4) of rule 15.

(b) Dimensions:— No ground sign shall be erected to a height exceeding 6 meter above the ground. Lighting reflectors may extend beyond the top or face of the sign.

(c) Support and Anchorage:— Every ground sign shall be firmly supported and anchored to the ground, supports and anchors shall be of treated timber in accordance with good practice or metal treated for corrosion resistance or masonry or concrete.

(d) Site Cleaning:— The owner of any site on which a ground sign is erected shall be responsible for keeping such part of the site as is visible from the street, clean, sanitary, inoffensive, and free of all obnoxious substances and unsightly conditions to the approval of the Municipal Commissioner.

(e) Obstruction to Traffic: — No ground sign shall be erected to obstruct free access to or egress from any building.

(f) Bottom Clearance: — The bottom line of all ground signs shall be at least 2 meter above the ground, but the intervening space may be filled with open lattice work or platform decorative trim.

(g) Ground painted signs shall conform to the requirements of rule 15 where applicable.

(3) Roof Signs:—

(a) Material: - Every roof sign together with its frames, supports and braces shall be constructed of non-combustible material, except as in sub-rule (4) of rule 15. Provisions shall be made for electric grounding of all metallic parts and where combustible materials are permitted in letters or other ornamental features, all wiring and tubing shall be kept free and insulated therein.

(b) Dimensions: - The size of the advertisement board shall be as per rule 4(3)(j) and the maximum height shall be in conformity with applicable building regulations.

(c) Location: -No roof sign shall be so placed on the roof of any building as to prevent free passage from one part of the roof to another. No roof sign shall be placed on or over the roof of any building unless the entire roof construction is of non-combustible material.

(d) Projection: - No roof sign shall project beyond the existing building line of the building on which it is erected or shall extend beyond the roof in any direction.

(e) Supports and Anchorage: - Every roof sign shall be thoroughly secured and anchored to the building on or over which it is erected. All loads shall be safely distributed to the structural members of the building.

(f) For roof signs near the airports 'No Objection Certificate' from Airport Authority shall be obtained.

(g) Painted roof signs shall conform to the requirements of rule 15 'General Requirements for All Signs' where applicable.

(4) Verandah Signs: —

(a) Material:— Every verandah sign shall be constructed entirely of non-combustible material except as in sub-rule (4) of rule 15.

(b) Dimensions:— No verandah sign should exceed 1 meter in height. No verandah sign hanging from a verandah shall exceed 2.5 meter in length and 50 millimetre in thickness, except that verandah box sign measuring not more than 200 millimetre in thickness, measured between the principal faces of the sign, and constructed entirely of metal wired glass may be erected.

(c) Alignment:— Every verandah sign shall be set parallel to the building line; except that any such sign hanging from a verandah shall be set at right angle to the building line.

(d) Location:— verandah signs, other than hanging signs only, shall be placed in the following locations:

- (i) immediately above the eaves of the verandah roof in such a manner as not to project beyond the rear of the roof gutter;

- (ii) against but not above or below the verandah parapet or balustrade provided such parapet or balustrade is solid and the sign does not project more than 20 centimetres from the outside face of such parapet or balustrade; or
- (iii) On the verandah beams or parapets in the case of painted signs.
- (e) Height of Hanging verandah signs:— Every verandah signs hanging from a verandah shall be fixed in such a manner that the lowest point of such sign is not less than 2.5 meter above the pavement.
- (f) Projection: - Except as provided for in rule 14(4)(d), no verandah sign shall extend outside the line of the verandah to which it is attached.

(5) Wall Signs:—

- (a) Material:— Every wall sign exceeding 4 square meter in area shall be constructed of non-combustible material except as in sub-rule (4) of rule 15 'Use of Combustibles'.
- (b) Dimensions:— The total area of any wall sign shall not exceed 20 square meter for every 15 meter of building frontage to the street to which such sign faces, except that in the case of a wall sign, consisting only of the name of a theatre or cinema, the total area of such sign shall not exceed 200 square meter. No wall sign which exceeds 30 square meter in area shall be located on any wall not directly facing the road, provided that any such sign or signs shall not exceed 25 percent of the side wall area visible from the street.
- (c) Projection:— No wall sign shall extend above the top of the wall or beyond the ends of the wall to which it is attached. At any place where pedestrians may pass along a wall, any wall sign attached thereto shall not project more than 7.5 centimetre there from within a height of 2.5 meter measured from the level of such place.
- (d) Supports and Attachment:— Every wall sign attached to walls shall be securely attached. Wooden blocks or anchorage with wood used in connection with screws, staples or nails shall not be considered proper anchorage, except in the case of wall signs attached to walls of wood.

(6) Projecting Signs:—

- (a) Material:— Every projecting sign and its support and framework shall be constructed entirely of non-combustible material.
- (b) Projection and Height:— No projecting sign in any part of its supports or framework shall project more than 2 meters beyond the building. However it shall not project beyond the plot line facing the street. When it projects into the street it shall be at clear height of 2.5 meter from the road.
- (c) The axes of all projecting sign shall be at right angles to the main face of the building. Where a V-construction is employed for the faces, the base of the sign against the building shall not exceed the amount of the overall projection.
- (d) No projecting sign shall extend above the eaves of roof or above the part of the building face to which it is attached.
- (e) The maximum height of a projecting sign shall be 6 meters.
- (f) Supports and attachment:— Every projecting sign shall be securely attached to a building so that movement in any direction is prevented by corrosion resistant metal brackets, rods, anchors, supports, chains, or wire ropes so designed and arranged that half the number of such fixing devices may safely support the sign under the circumstances. Staples or nails shall not be used to secure any projecting sign to any building.

(g) Additional loads:— Projecting sign structures which could be used to support an individual on a ladder or other servicing device whether specifically designed for the servicing device shall be capable of supporting the anticipated additional load but in no case less than 500-kilogram concentrated horizontal load and 1500-kilogram vertical concentrated load applied at the point of assumed loading or point of most eccentric loading. The building component to which the projecting sign is attached shall also be designed to support the additional loads.

(7) Marquee Sign:—

(a) Materials: Marquee Signs shall be constructed entirely of metal or other approved non-combustible materials.

(b) Height: Such sign shall not exceed 2 meter in height, nor shall they project below the fascia of the marquee nor lower than 2.5 meter above the footpath.

(c) Length: Marquee signs may extend the full length but in no case shall they project beyond the ends of the marquee.

(8) Anchored or Floating Signs:—

(a) In case of the anchored or floating signs such as air filled/gas propelled/electronically maneuvered apparatus, etc, height of such sign shall not be more than 30 meters for which requisite permission shall be taken from the competent authority. The minimum height shall be such as will not hinder or obstruct vehicular or pedestrian movement.

(9) Temporary Advertising Signs, Travelling, Circus Signs, Fair Signs and Decorations During Public Rejoicing. Types: None of the following advertising signs shall be erected or maintained, other than as temporary signs erected in accordance with rule 14 (10):—

(a) Any advertising sign which is painted on or fixed on to or between the columns of a verandah.

(b) Any advertising sign which projects above or below any fascia, bearer, beam or balustrade of a verandah or balcony.

(c) Any advertising sign which is luminous or illuminated and which is fixed to any fascia, bearer, beam, or balustrade of any splayed or rounded corner of a verandah or balcony.

(d) Any streamer sign erected across a road.

(e) Any sign not securely fixed to prevent the sign swinging from side to side.

(f) Any advertising sign made of cloth, papier-mache, or similar or like material but excluding licensed paper signs on hoarding or fences.

(g) Any advertising sign on a plot used or intended to be used exclusively for residential purposes, other than a brass plate or board preferably not exceeding 600-millimetre x 450 millimetre in size, affixed to the fence or entrance door or gate of a dwelling, and in the case of a block of flats, affixed to the wall of the entrance hall or entrance door of any flat, and

(h) Any sign on trees, rocks, hillsides, and similar natural features.

(10) Requirements for Temporary signs:—

(a) All temporary advertising, travelling circus and fair signs and decorations during public rejoicing shall be subject to the approval of the Municipal Commissioner and shall be erected so as not to obstruct any opening and to minimize fire risk.

(b) The advertisement contained on any such sign shall pertain only to the business, industry or other pursuit conducted on or within the premises on which such sign is erected or maintained. Temporary advertising sign shall be removed as soon as torn or damaged and in any case within 14 days after erection unless extended.

(c) The Municipal Commissioner shall be empowered to order the immediate removal of any temporary advertising sign or decoration, where, in its opinion such action is necessary to the interests of public amenity and safety.

(d) Pole Signs: Pole signs shall be constructed entirely of non-combustible materials and shall conform to the requirements of ground or roof signs as applicable. Such signs may extend beyond the street line if they comply with the provisions for projecting signs.

(e) Maximum Size: Temporary sign shall not exceed 10 square meter in area.

(f) Billboards set up by the Municipal Corporation shall be used for temporary signs, symbols, bills for entertainment etc. so that other walls of city are not defaced.

Note: Bill for entertainment and other functions shall not be affixed on to building walls other than the billboards. The organization responsible for such bills and posters shall be held responsible for any such defacement and non-removal of signs.

15.(1) Loads: Every advertising sign shall be designed to withstand safely the wind, dead, seismic and other loads as set out in "Part 6 'Structural Design, section 1 Loads, Forces and Effects'" of the National Building Code, 2016

General
requirements
for all Signs

(2) Illumination: No sign other than electrical means and electrical devices and wiring shall be installed or illuminated in accordance with the requirements of "Part 8 'Building Services' section 2 Electrical and Allied Installation" of the National Building Code, 2016. In no case, shall any open spark or flame be used for display purposes unless specifically approved by the Municipal Commissioner.

(3) Design and Location of Advertising Signs:—

(a) No sign shall in any form or manner interfere with openings required for light and ventilation;

(b) When possible, signs shall be gathered into unified systems. Sign clutter should be avoided in the landscape;

(c) Sign shall be combined with lighting fixture to reduce unnecessary posts and for ease of illuminating the signs;

(d) Information signs shall be placed at natural gathering spots and included in the design of sight furniture;

(e) Placement of sign shall be avoided where they may conflict with pedestrian traffic;

(f) Sign shall be placed to allow safe pedestrian clearance vertically and laterally;

(g) No sign shall be attached in any way to a tree or shrub.

(4) Use of Combustibles:—

(a) Ornamental Features: Wood or plastic or other materials of combustible characteristics may be used for mouldings, capping, nailing blocks, letters and latticing, where permitted, and for other purely ornamental features signs;

(b) Sign facing: Sign facing may be made of approved combustible materials provided the area of each face is not more than 10 square meter and the wiring for electric lighting is entirely enclosed in metal conduit and installed with a clearance of not less than 5 centimetres from the facing material.

(5) Damage or Defacement by Removal of Advertising Signs: Whenever any advertising sign is removed, whether in consequence of a notice or order by Municipal Commissioner or otherwise, any damage or defacement in the building or site on or from which such sign was displayed, shall be made good to the satisfaction of the Municipal Commissioner. If during the removal of advertising sign, the road surface/footpath/traffic signal or any other public utility services is damaged then the money recovered from the advertiser shall be transferred to the concerned Department by the Corporation.

	(6) Display of Permit Details: The permit details and date of expiry of permission shall be displayed on every advertising sign in such manner as it is visible and readable by the naked eyes.
Advertisement on shops	16.(1) No advertisement on any shop shall, without prior permission of Municipal Commissioner and prior payment of fee due, be exhibited by hanging cardboard, pasting stickers, painting, writing, or displaying in any other manner.
	Explanation- (i) If the name of the shop or the names of articles or goods to be sold have been displayed or exhibited by hanging a board, painting or in any manner whatsoever, the same shall not be treated as advertisement and shall not be chargeable under these rules; and (ii) If there is mention of any article describing its qualities etc. along with the name of shop or independently attracting the common public as advertisement, the same shall be chargeable under these rules. (2) The width of the signage on shops shall not be more than the width of the shop on which it is displayed. (3) Each business/shop shall restrict itself to only one fascia sign. However, one additional sign may be permitted for a business establishment having a rear, or side face with a public entrance.
Advertisements permitted within right of way (excluding National/State Highway)	17. Depending on their potential, overall aesthetics of the area and public safety, following advertisements shall be permitted within right of way of the roads excluding National/State Highway:
	(1) Advertisement on street light poles: (a) Design: Width of the advertisement board shall depend on the location of the street light pole on central verge or footpath etc. In no case advertisement board shall project on the carriageway. (b) Size of the hoarding shall not be more than 0.75 metres x 1.0 metre. (c) Minimum clearance above the ground level to the bottom of the hoarding shall not be less than 2.5 metres. Additional hoarding boards may be permitted above that however, vertical clearance between the boards shall be minimum 0.5 meter. (d) Frame may be fixed by the Corporation and display may be allowed by the licensee as approved by the Municipal Commissioner. (2) Advertisement on Bus Shelters: (a) Design: The advertisement shall be permitted on the advertisement board of bus shelters leaving 1.5 metre length of the board for display of area and route numbers. (b) The length of advertisement board on bus shelters shall not be more than the length of the bus shelter and height shall not be more than 0.90 metre. (c) Each bus shelter shall be constructed as per the design approved by Municipal Corporation and it shall be mandatory to display the bus fares approved by the Urban Transport Department, route number of city buses along with details of the bus routes. (d) Regular maintenance of the bus shelter shall be in the scope of licensee who has been granted permission to display advertisements on bus shelter. (3) Advertisement on important junctions for identification of the locations: (a) The boards in standard form containing strips of 2 metres x 0.35 metres in size may be fixed by the Municipal Commissioner at the important road junctions to facilitate the identification of various locations keeping in view the traffic safety requirements as per sub-rule (2) of rule 13. The advertiser shall be allowed to paint names, directions etc. in the recommended colour and size on the strip of the board as approved by the Municipal Commissioner.

(4) Traffic Rotaries and Islands: Municipal Commissioner may permit the licensee to develop and maintain traffic rotaries/islands in consultation with the traffic department (Gazetted Officer-in-charge of traffic). The size of display shall depend on the location and size of traffic rotary/island and intensity of the traffic. However, height of display shall not be permitted above the height of rotary/ island.

(5) Guard Rails along Medians/Footpaths: Municipal Commissioner may permit the licensee to provide and maintain guard rails along the Median/Footpath by allowing the licensee to display the name/product on guard rails. It will be obligatory upon the licensee to obtain the approval of Municipal Commissioner for the design of guard rail and to maintain and particularly paint the guard rail/divider from time to time to the satisfaction of the Municipal Commissioner.

(6) Tree Guards: Municipal Commissioner may permit the licensee to provide and maintain tree guards of approved design around the plant by allowing the licensee to display the name/product on the tree guards as approved by the Municipal Commissioner.

(7) Flowerpot stands: The Municipal Commissioner may permit the licensee to provide and maintain flowerpot stands of approved design on the road dividers. The distance between two flowerpot stands shall be at least 5 metres. The advertising sign measuring maximum 0.45 metre x 0.75 metre may be displayed on its both sides:

Provided that the vertical clearance of the bottom of the advertising sign above the road surface shall not be less than 2.5 metre:

Provided further that the width of the advertising sign shall be 0.25 meter less than the width of the divider on both sides and flowerpots shall be kept in its alignment (parallel to the direction of divider).

18.(1) Nothing in these rules shall apply to the following advertisements and hoardings:- Exemptions

(a) if the name of any office, shop or establishment alone is exhibited on any signboard which is erected or installed on such office, shop, or establishment;

(b) if only the name and address of the owner of any residential building is exhibited on any signboard attached to such building;

(c) if the name and address of any Government or semi-Government office is exhibited on any signboard, placed within such premises;

(d) all traffic signs, signals, traffic warnings and messages given by Traffic Department, all notices displayed under the orders or directions of any Court, and all sign boards indicating availability of petrol and diesel, provided their measurements do not exceed 0.6 metre x 0.6 metre;

(e) if the signs are exhibited within the window of any building provided it does not affect light and ventilation of the building;

(f) any advertisement which is not a sky-sign and which,—

(i) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or the name of the owner or occupier of such land or building; or

(ii) relates to the business of any railway administration, or

(iii) is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of a railway administration except any portion of the surface of such wall or property fronting any street;

(iv) relates to the trade or business carried on within the land or building upon which such advertisement is exhibited or to any sale, entertainment or meeting or lettering of such land or building or any effects therein, or to the trade or business carried on by the owner of any tramcar, omnibus or other vehicle upon which such advertisement is exhibited, provided it is not more than 1.2 square meter.

(g) Any advertisement on Metro Rail/RRTS/Rope way *etc.* including assets buildings bridges, FOBs, Rolling Stock, land or any premises occupied by it are exempted from said rules.

(2) Wall Signs: The wall signs listed below shall not require a permit: –

(a) Store signs: Non-illuminated signs erected over a show window or over the door of a store or business establishment which announce the name of the proprietor and the nature of the business conducted therein; the sign shall not be more than 1 metre in height and the width of the business establishment;

(b) Government Building Signs: Signs erected on a Municipal, State or Central Government building which announce the name, nature of the occupancy and information;

(c) Name Plates: Any wall sign erected on a building or structure indicating the name of the occupant of building, which is not more than 0.5 square meter in area.

(3) Ground Signs: The ground signs listed below shall not require a permit:–

(a) Travel Route Directions: The erection or maintenance of a sign designating the location of a transit line, a rail track, station, or other public carrier when not more than 0.5 square metre in area shall not require a permit;

(b) Highway Signs: In general, advertisements of the following classes are permissible without permission though these should reasonably confirm to the principles set out in sub-rule (2) of rule 13: –

(i) Class 1 Functional Advertisements: Official warnings signs, traffic directions, sign posting, and notices or advertisement posted or displayed by or under the directions of any public or Court officer in the performance of his official or directed duties.

Example: DIVERSION AHEAD

Direction signs to places of public amenity, such as petrol filling stations, hospitals, First aid posts, police stations and fire stations.

Example: HOSPITAL BUS STATION

Signs relating solely to any city, town, village or historic place, shrine, place of tourist interest.

Example: ELLORA CAVES FARIDABAD TOWN

Signs, notices, *etc.*, erected by the Defence Department for information of members of the Armed forces or the public.

Example: ARTILLERY RANGE AHEAD

Signs restricting trespass of property, limited to 0.2 square meter in area or less.

Example: PRIVATE TRESPASSERS WILL
PROPERTY BE PROSECUTED

Signs or notices, 0.2 square meter in area or less, placed to show direction to a residence and planted sufficiently away from the carriageway.

(ii) Class (2) Advertisements relating to the Premises on which these are displayed:

Advertisements for the purpose of identification, direction, or warning with respect to the land or building on which they are displayed, provided not exceeding 0.2 square meter in area in the case of any such advertisement.

Example: MIND PROPERTY OF MOHAN
THE STEP LAL AND CO..
USHA KIRAN

Advertisements relating to any person, partnership or company separately carrying on a profession, business, trade at the premises where any such advertisements are displayed; limited to one advertisement not exceeding 0.3 square meter in area in respect of each such person, partnership, or company.

Example: MOHAN LAL & COMPANY

Advertisements relating to any institution of a religious, educational, cultural, recreational, medical, or similar character or any hotel, public house, dak bungalow, block of flats, club, boarding house, or hostel situated on the land on which any such advertisement is displayed not exceeding 1.2 square meter in area in respect of each such person, partnership, or company.

Example: COLLEGE OF ENGINEERING HOLIDAY HOUSE
ROTARY CLUB

(ii) Class (3) Advertisements of Temporary Nature:

Advertisements relating to the sale or letting of the land on which they are displayed; limited in respect of each such sale or letting to one advertisement not exceeding 2 square meter in area.

Example: TO LET HOUSE FOR SALE

Advertisements announcing sale of goods or livestock and displayed on the land where such goods or livestock are situated or where such sale is held, limited to one advertisement not exceeding 1.2 square meter in area.

Example: SALE THIS WEEK CATTLE SALE

Advertisements relating to the carrying out of building or similar work on the land on which they are displayed not exceeding 2 square meter in area.

Example: CAUTION
EXCAVATION IN PROGRESS

Advertisements announcing any local event of a religious, educational, cultural, political, social, or recreational character, not being an activity promoted or carried on for commercial purposes; limited to a display of advertisements occupying an area not exceeding 0.6 square meter in area.

Example: DIWALI MELA FLOWER SHOW

(4) Temporary Signs:—

(a) Construction Site Signs: Construction signs, engineers' and architects' signs and other similar signs which may be authorized by the Municipal Commissioner in connection with construction operations.

(b) Special Displays Signs: Special decorative displays used for holidays, public demonstrations or promotion of civic welfare or charitable purposes, on which there is no commercial advertising:

Provided that the Municipal Commissioner is not held responsible for any resulting damage.

(5) Advertisement related to Government programmes shall be exempted from this rule.

19.(1) The Corporation or the State Government or the Central Government may declare any area or areas prohibited for erecting, exhibiting, displaying, sticking, pasting, writing, drawing, or hanging the advertisements or hoardings.

(2) Some of the roads or Zones may be declared as advertisement to be allowed only on digital mode.

Declaration
of Special
Areas

Ban on
banners

20.(1) No person shall exhibit, display, or hang any banner.

(2) Any person contravening the provisions of this rule shall be liable to pay such penalty as may be imposed by the Municipal Commissioner under the provisions of section 550 of the Act.

(3) The Municipal Commissioner may remove the banner referred to in this rule and may forfeit or destroy it and recover penalty as arrears of land revenue.

Maintenance
and inspection

21.(1) Maintenance: All signs for which a permit is required, together with all their supports, braces, guys, and anchors shall be kept in good repair, both structurally and aesthetically, and when not galvanized or constructed of approved corrosion resistive non-combustible materials, shall be painted when necessary to prevent corrosion.

(2) Housekeeping: It shall be the duty and responsibility of the owner of every sign to maintain the immediate premises occupied by the sign, in a clean, sanitary, and healthy condition.

(3) Inspection: Every sign for which a permit has been issued and every existing sign for which a permit is required shall be inspected at least once in every calendar year.

(4) The Corporation shall adopt latest technology to determine compliances by the licensee and periodic inspections shall be done to safeguard Municipal body's interests.

Power of entry
and inspection

22.(1) The Municipal Commissioner or any Corporation officer or servant authorized by him in his behalf may enter any premises with or without assistants or workmen, for the purpose of making any inspection, search, survey, measurement, or enquiry or to execute any work which is authorized by or under these rules or which is necessary for any of purposes or in pursuance of any of the provisions of these rules:

Provided that -

(a) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier; or if there be no occupier, to the owner of the land or buildings;

(b) sufficient opportunity shall in every instance be given to enable woman, if any, to withdraw from such land or building;

(c) due regard shall always be paid, so far as may be compatible with exigencies of the purpose for which the entry is made to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

Classification
of
Areas/Zoning

23.(1) The classification of areas for purposes of fee on advertisements except prohibited areas shall be decided by the Technical Committee in the manner given in sub-rule (2).

(2) Two systems of Zoning shall be proposed to act in combination to appropriately capture the location potential:-

(a) Area Zoning

Sr.	Zone	Classification
(i)	Zone A – Developed and High-Density Zone	Area having highest advertisement potential located centrally with mixed use development such as major transit hubs and premium residential locations with high traffic density, <i>etc.</i>
(ii)	Zone B – Developing Commercial Zone	Area having medium advertising potential, consisting of upcoming premium commercial and residential development with lesser traffic density.
(iii)	Zone C- Residential Areas Area	Area with minimum advertisement potential and low traffic density.

(b) Road Zoning

Sr.	Category	Classification
(i)	R1	High advertisement revenue potential roads
(ii)	R2	Medium advertisement revenue potential roads
(iii)	R3	Low advertisement revenue potential roads
(iv)	R4	Advertisement prohibited roads
(v)	R5	Digital Advertisement only roads

(3) The Municipal Corporation shall review the zoning as and when required to incorporate the developments taking place within its jurisdiction into the zoning system.

24.(1) The cost of removal or washing off an advertisement or hoarding referred to in rule 12, shall be decided by the Technical Committee.

Cost of
removal

(2) The Municipal Commissioner shall also be authorized to recover penalty amount as arrears of land revenue.

25.(1) A time of 5 minutes per hour shall be reserved for displaying social messages for the Municipal Corporation and/or Government free of cost for advertisement on Digital Mode.

Reservation of
time for the
Municipal
Corporations/
Government

(2) Reserved minutes for advertisement shall be displayed every hour as per the direction of the Municipal Corporation/ Government.

(3) 1 day in a month (Maximum 12 days in a year) shall be reserved for displaying social messages for the Municipal Corporation and/or Government free of cost.

(4) Reserved day of advertisement shall be on every month or cumulative days for the year as per the direction of the Municipal Corporation/Government.

(5) In the event of force majeure, the District Disaster Management Authority (DDMA) will have powers as per the provisions of the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005)

(6) No failure or omission by either party to carry out or observe any of the terms and conditions of the license agreement shall give rise to any claim against the party in question or be deemed a breach of the said Agreement if such failure or omission arises from any of the causes beyond the reasonable control of that party, including, without limitation, war, warlike operation, insurrection, riot, fire, explosion; accident; Governmental Act, material control regulations or orders, act of God, act of the public enemy, epidemic and quarantine restriction:

Provided that the non-performing party has provided the other party with prompt written notice of the obligations it will not be able to perform and has taken all reasonable care to minimize the effect of any such force majeure situation.

(7) If a force majeure event that prevents the licensee from performing its obligations under the said agreement, does not end within thirty (30) days, then the Corporation shall be entitled by written notice to terminate the said license agreement.

26.(1) Size of enforcement squad shall be decided by Municipal Commissioner at Zonal Level based on actual requirements.

Miscellaneous
rules

(2) Where any department, other than the designated authority, intending to enter into advertisement agreements within the territorial jurisdiction of the Municipal Corporation shall obtain prior written authorization from the Nagar Nigam to ensure administrative coherence.

(3) The selected bidder shall execute a proper agreement on a Non-Judicial Stamp of value as per the Indian Stamps Act, 1899 (Act no. 2 of 1899).

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 367 राजपत्र-2026-(1072)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० नगर विकास-2026-(1073)-100+100=200 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।